7

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. ति. पू. भु./04 भोपाल-2001.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम.पी. 108/भोपाल/2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी 2001—फाल्गुन 1, शक 1922

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2001

क्र. 1688-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 12 फरवरी 2001 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २००१.

मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, २०००.

विषय-सूची

धाराएँ :

अध्याय-एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
२. परिभाषाएं.

अध्याय-दो

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् नियामक आयोग

३. आयोग की स्थापना और गठन.
४. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों का चयन करने के लिए समिति का गठन.
५. आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए शर्तें.
६. सदस्य की पदावधि, सेवा की शर्तें इत्यादि.
७. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्यों का हटाया जाना.
८. आयोग के सचिव, कर्मचारिवृन्द और परामर्शदाताओं की नियुक्ति.

अध्याय-तीन

आयोग के कृत्य, शक्तियां और कार्यवाहियां

९. आयोग के कृत्य.
१०. आयोग की शक्तियां.
११. आयोग की कार्यवाहियां.

अध्याय-चार

राज्य सरकार की शक्ति

१२. राज्य सरकार की सामान्य शक्ति.
१३. राज्य सरकार और आयोग के बीच विवाद का माध्यस्थम्.

अध्याय-पांच

पारेषण तथा प्रदाय का अनुज्ञापन

१४. अनुज्ञापन.
१५. आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना.
१६. अनुज्ञप्ति रखने की आवश्यकता से छूट.

१७. अनुज्ञप्ति की शर्तों का संशोधन.
१८. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण.
१९. जहां अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जाती है वहां उपबंध.
२०. अनुज्ञप्तिधारक तथा उत्पादक कंपनियों के साधारण कर्तव्य तथा शक्तियां.
२१. अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादक कंपनियों पर निर्बन्धन.
२२. अनुज्ञप्तिधारियों के वार्षिक लेखा.

अध्याय-छह

बोर्ड का पुनर्गठन

२३. मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल की संपत्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का पुनर्गठन.
२४. कार्मिकों से संबंधित उपबंध.
२५. अंतरण में फेरफार.

अध्याय-सात

टैरिफ

२६. टैरिफ.
२७. राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता.

अध्याय-आठ

आदेश तथा प्रवर्तन

२८. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश.
२९. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंतिम आदेश.
३०. आपात उपबंध.
३१. अंतरिम और अंतिम आदेशों का प्रभाव और उनका प्रवर्तन, जुर्माने और प्रभार.
३२. आयोग का सामान्य नियंत्रण.

अध्याय-नौ

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा काम करने के मानक, जानकारी का प्रकटीकरण इत्यादि

३३. राज्य सलाहकार समिति.
३४. विद्युत् प्रदाय कार्य करने के मानक.
३५. कार्य करने के मानकों की जानकारी.
३६. उपभोक्ता संरक्षण विधियों के लिए व्यावृत्ति.
३७. कार्य करने के स्तरों के संबंध में जानकारी.
३८. जानकारी के प्रकटीकरण का प्रतिषेध.

अध्याय-दस

माध्यस्थम् और अपीलें

३९. आयोग द्वारा माध्यस्थम्.
४०. विद्युत् निरीक्षकों के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलें.
४१. आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें.

अध्याय-ग्यारह

लेखा, संपरीक्षा तथा रिपोर्ट

४२. आयोग का बजट.

४३. आयोग का लेखा और उसकी संपरीक्षा.

४४. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.

अध्याय-बारह

अपराध और शास्तियां

४५. धारा १४ के उल्लंघन के लिए शास्ति.

४६. अन्य उपबंधों के उल्लंघन के लिये शास्तियां.

४७. कंपनियों द्वारा अपराध.

४८. अपराधों का संज्ञान और उनके प्रशमन की शक्ति.

४९. शास्तियां और कार्यवाहियां अन्य कार्यवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी.

अध्याय-तेरह

प्रकीर्ण

५०. फीस, जुर्माने और प्रभारों की वसूली.

५१. जुर्माने और प्रभारों का उपयोजन.

५२. अधिरोपित जुर्माने या शास्तियों का कोई भी भाग संक्रांत नहीं किया जाएगा.

५३. अधिकारिता का वर्जन.

५४. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

५५. विनियम बनाने की शक्ति.

५६. नियम बनाने की शक्ति.

५७. आयोग के सदस्य तथा कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे.

५८. आयोग के समक्ष की जाने वाली कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होंगी.

अध्याय-चौदह

विद्यमान केन्द्रीय विधान पर प्रभाव तथा व्यावृत्तियां

५९. भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० और विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ पर इस अधिनियम का प्रभाव.

६०. विद्युत् नियामक आयोग अधिनियम, १९९८ (केन्द्रीय अधिनियम, १९९८ का सं. १४) पर इस अधिनयम का प्रभाव.

६१. व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ४ सन् २००१.

मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, २०००.

[दिनांक १२ फरवरी २००१ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २० फरवरी, २००१ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

निम्न प्रयोजन के लिए,—

(एक) राज्य विद्युत् नियामक आयोग स्थापित करने;

(दो) विद्युत् उद्योग की पुनः संरचना करने;

(तीन) राज्य में विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण और प्रदाय का युक्तियुक्तकरण करने;

(चार) विद्युत् के पारेषण और प्रदाय के अनुज्ञापन को विनियमित करने;

(पांच) विद्युत् का क्रय, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण, प्रदाय और उपयोग को विनियमित करने;

(छह) उपभोक्ताओं के हितों और उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ तथा अन्य प्रभारों को उपलब्ध कराने;

(सात) दक्ष, मितव्ययी और प्रतिस्पर्धी रीति से राज्य में विद्युत् उद्योग के विकास और प्रबंध के लिए सहायक उपाय करने;

और उससे संसक्त और या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, २००० है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''पारेषण का क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर किसी पारेषण अनुज्ञप्ति का धारक या कोई अन्य व्यक्ति तत्समय विद्युत् पारेषित करने के लिये प्राधिकृत है;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग;

(ग) ''केन्द्रीय आयोग'' से अभिप्रेत है विद्युत् नियामक आयोग अधिनियम, १९९८ (केन्द्रीय अधिनियम, १९९८ का सं. १४) की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग;

(घ) ''केन्द्रीय अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत् नियामक आयोग अधिनियम, १९९८ (१९९८ का सं. १४);

(ङ) ''विद्युत् उद्योग'' से ऐसे व्यक्ति या आस्तियां अभिप्रेत हैं जो विद्युत् के कारबार या उसके उत्पादन के क्रियाकलापों, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण के या विद्युत् प्रदाय या ऊर्जा प्रणाली के प्रचालन में, ऐसे कारबार और क्रियाकलापों के विनियमन और उससे संसक्त विषयों में संलग्न हों;

(च) ''उच्च न्यायालय'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय;

(छ) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है राज्य में नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत किन्तु और कोई अन्य प्राधिकरण नहीं;

(ज) ''अनुज्ञप्ति'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा १५ के अधीन प्रदान की गई कोई अनुज्ञप्ति और इसमें सम्मिलित है धारा ३ के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) की धारा २८ के अधीन दी गई मंजूरी;

(झ) ''अनुज्ञप्तिधारी'' या ''अनुज्ञप्ति धारक'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के भाग-पांच के अधीन विद्युत् पारेषित करने या प्रदाय करने के लिये अनुज्ञप्त कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत धारा ३ के अधीन अनुज्ञप्त व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति भी है जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) की धारा २८ के अधीन मंजूरी प्रदान की गई है;

(ञ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य और उसमें आयोग का [illegible] चेयरपर्सन) सम्मिलित होगा;

(ट) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा विहित;

(ठ) ''विनियमन'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियमन;

(ड) ''नियम'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;

(ढ) ''चयन-समिति'' से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन गठित चयन-समिति;

(ण) ''राज्य'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(त) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है राज्य की सरकार;

(थ) ''पारेषित करना'' से अभिप्रेत है किसी ऐसी प्रणाली द्वारा विद्युत् का परिवहन या पारेषण जो पूर्णतः या मुख्यतः, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज और अतिरिक्त उच्च दाब लाइन (हाईटेंशन लाईन) और विद्युत् संयंत्र से मिलकर बनी है और जिसका उपयोग विद्युत् को एक उत्पादन केन्द्र से किसी उप केन्द्र को, किसी उत्पादन केन्द्र से अन्य को, या उप-केन्द्र से अन्य को, या अन्यथा एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवर्तित करने के लिए और पहुंचाने के लिये और/या अन्तरित करने के लिए किया जाता है;

(द) ''प्रदाय'' में उप पारेषण और वितरण सम्मिलित होगा;

(ध) ''उपक्रम'' से अभिप्रेत है ऐसी कारबार इकाई जो कि राज्य में, यथास्थिति, उत्पादन, उप-पारेषण, पारेषण के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विद्युत् के प्रदाय या राज्य में ऊर्जा प्रणाली के प्रचालन से सम्बद्ध किसी अन्य कार्यकलाप में संलग्न हो;

(न) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो इन अधिनियमों में उनके लिए दिया गया है.

अध्याय—दो

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् नियामक आयोग

आयोग की स्थापना और गठन.

३. (१) राज्य के लिए एक आयोग होगा जिसे मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् नियामक आयोग के नाम से जाना जाएगा जो शाश्वत उत्तराधिकार के साथ एक निगमित निकाय होगा और जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उनका व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा या उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा.

(२) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा आयोग गठित करेगी. आयोग एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित रीति में चयनित और नियुक्त किए जाएंगे. राज्य सरकार किसी भी सदस्य को अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के रूप में पदाभिहित करेगी. दो सदस्यों में पारस्परिक ज्येष्ठता की गणना उनकी अपनी-अपनी नियुक्ति की तारीख से की जाएगी. उस दशा में जब दो या अधिक व्यक्तियों का एक ही समय पर चयन किया जाता है तो राज्य सरकार, नियुक्ति करते समय उनमें ज्येष्ठता का अवधारण करेगी.

(३) आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और उसके सदस्य आयोग के कृत्यों के अनन्यतः निर्वहन के लिए पूर्णकालिक रूप में नियुक्त किए जाएंगे और वे कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे या कोई अन्य कार्य हाथ में नहीं लेंगे.

(४) केन्द्रीय अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ५७२६-एफ-३-२०-तेरह/९८ दिनांक १८-८-१९९८ द्वारा राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया राज्य आयोग और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को अस्तित्व में आने वाला आयोग इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये प्रथम आयोग होगा और उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसका गठन नियुक्त किये गए अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की पदावधि की शेष कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किया गया है.

(५) आयोग का मुख्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश में होगा और यह अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा. आयोग, अपनी कार्यवाहियां, परामर्श और सुनवाई, राज्य में अन्य स्थानों पर संचालित करने का हकदार होगा.

अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों का चयन करने के लिए समिति का गठन.

४. (१) राज्य सरकार, आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए एक चयन-समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(क) राज्य का मुख्य सचिव—अध्यक्ष;

(ख) केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य— सदस्य;

(ग) कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) की धारा ४—ए की उपधारा (१) में यथा उपवर्णित किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था का प्रबंध संचालक या किसी विद्युत् उद्योग के कारोबार में या किसी विद्युत् उद्योग की निधि संचालित करने या वित्त पोषण में संलग्न भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम का प्रबंध संचालक—सदस्य.

(२) राज्य सरकार, मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति की तारीख से एक मास के भीतर और किसी सदस्य की अधिवार्षिकी या उसके कार्यकाल की समाप्ति के चार मास पूर्व उपधारा (१) में यथा विनिर्दिष्ट चयन-समिति गठित करेगी और रिक्तियों को भरने के लिए चयन-समिति को निर्देश करेगी.

(३) चयन-समिति, उस तारीख से जिसको कि निर्देश किया है, एक मास के भीतर सदस्य के चयन को अंतिम रूप देगी.

(४) चयन-समिति, उसे निर्दिष्ट की गई प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नाम के एक पैनल की सिफारिश करेगी.

(५) राज्य सरकार, प्रत्येक रिक्ति के लिये चयन-समिति द्वारा सिफारिश किए गए दो नाम के पैनल में से सदस्यों की नियुक्ति करेगी और अपने विनिश्चय को ऐसी सिफारिश की प्राप्ति के एक मास के भीतर अधिसूचित करेगी.

आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये शर्तें.

५. (१) आयोग के सदस्य योग्यता, ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिन्हें अभियांत्रिकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, विधि, प्रशासन या प्रबंधन का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो, या जिन्होंने इस संबंध में संबंधित समस्याओं का निपटारा करने में क्षमता प्रदर्शित की हो तथा यह और कि आयोग सभी समयों पर निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा पर :—

(क) एक व्यक्ति जो विद्युत् के उत्पादन या पारेषण या उप-पारेषण या वितरण में विशेषज्ञता के साथ अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अर्हता और पर्याप्त अनुभव रखता हो; और

(ख) दो अन्य व्यक्ति जो किसी अन्य विषय अर्थात् अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, विधि, प्रशासन या प्रबंधन में अर्हताएं और पर्याप्त अनुभव रखते हों:

परन्तु एक से अधिक सदस्य को खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी विशिष्ट विषय के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(२) कोई भी व्यक्ति यदि वह संसद या किसी राज्य विधान मंडल का सदस्य है या किसी स्थानीय प्रधिकरण का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य है तो वह आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए अनर्ह होगा.

(३) वह व्यक्ति जिसके बारे में आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा रहा है, चयन-समिति को—

(क) ऐसा कोई पद, नियोजन या परामर्शदायी करार या ठहराव जो वह अपने स्वयं के नाम से या किसी नातेदार के नाम से किसी ऐसी फर्म, व्यक्तियों का संगम या निगमित निकाय में रखता हो जो कि उनमें से किसी के स्वामित्व की हो या उनमें से किसी के द्वारा अन्यथा नियंत्रित हो और जो निम्नलिखित में से कोई कारबार कर रहा हो :—

(एक) विद्युत् का उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण या प्रदाय;

(दो) विद्युत् के उत्पादन के लिए किसी ईंधन का विनिर्माण, विक्रय या प्रदाय;

(तीन) विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग के लिए संव्यवहार करने वाली मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या फिटिंग्स का विनिर्माण, विक्रय, पट्टे पर देना, किराए पर देना या अन्यथा प्रदाय या उनका कारबार करना; और

(चार) उपरोक्त खण्ड (एक), (दो) और (तीन) में निर्दिष्ट किसी भी कार[illegible]वृत्तिक सेवा देने वाली कोई सत्ता;

अभिसूचित करेगा.

(ख) ऐसी अन्य जानकारी जो नियमों द्वारा या चयन-समिति द्वारा अन्यथा विहित की जाए, अधिसूचित करेगा.

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजन के लिये शब्द नातेदार का वही अर्थ होगा जो कि उसके लिए कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) की धारा ६ में दिया गया है.

(४) आयोग का प्रत्येक सदस्य, आयोग में कार्य ग्रहण करने के पूर्व, उपधारा (३) में उल्लिखित कारबारों के हित से, स्वयं को उसकी नियुक्ति की एक शर्त के रूप में निर्निहित करेगा.

(५) यदि कोई व्यक्ति जिसे आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना हो, राज्य सरकार के या केन्द्र सरकार के या किसी अन्य राज्य की सरकार के या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी शासकीय निकाय के अधीन कोई पद धारण करता है या किसी व्यक्ति की, सरकारी प्राधिकरण की, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की सेवा में या अन्यथा अभिलाभ पूर्वक नियोजित या लगा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति आयोग में कार्यग्रहण के पूर्व उस सेवा से त्यागपत्र दे देगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेगा.

(६) आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जो किसी कारण से चाहे वह जो भी हो, सदस्य नहीं रह जाता है, उसके पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार की सेवा में या राज्य सरकार के स्वामित्व के या उसके नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय या संस्था या उपक्रम की सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(७) आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जो किसी कारण से चाहे वह जो भी हो सदस्य नहीं रह जाता है, किसी भी समय आयोग के समक्ष उपसंजात नहीं होगा या अन्यथा किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या किन्हीं कार्यवाहियों में आयोग के लिए या उसकी ओर से उपसंजात नहीं होगा.

(८) जब तक वह व्यक्ति सदस्य का पद धारण किए रहता है और किसी कारण से चाहे वह जो भी हो उसके सदस्य न रह जाने के पश्चात् दो वर्ष की कालावधि तक वह व्यक्ति उपधारा (३) में उल्लिखित कारबारों में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई पद, नियोजन या परामर्शी ठहराव या कोई वित्तीय हित अर्जित, धारित या संधारित नहीं करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति स्वेच्छाविरुद्ध या उत्तराधिकार या वसीयती व्यवस्थापन के रूप में ऐसा कोई हित अर्जित करता है तो वह ऐसा हित अर्जित होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर, स्वयं को ऐसे हित से निर्निहित करेगा.

(९) किसी व्यक्ति को अनुशंसा करने के पूर्व चयन-समिति अपना यह समाधान करेगी कि उस व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे कि सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

सदस्य की पदावधि, सेवा की शर्तें इत्यादि.

६. (१) प्रत्येक सदस्य जिसमें अध्यक्ष (चेयरपर्सन) भी सम्मिलित है, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद धारण करता है पांच वर्ष तक की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और नियुक्ति की अवधि का अवसान होने के पश्चात् किसी भी समय अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को बासठ वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात्, सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(२) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और अन्य सदस्य ऐसा पारिश्रमिक और अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे और वे सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसी कि नियमों द्वारा विहित की जाए :

परन्तु अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए गए वेतन और भत्ते किसी समय उस वेतन और भत्ते से निम्नतर नहीं होंगे जो कि सुसंगत समय पर राज्य सरकार में प्रमुख सचिव के पद को लागू हों :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् एक बार विहित किए गए वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों में उनके अलाभप्रद रूप में कोई फेरफार नहीं किया जाएगा.

(३) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के पूर्व ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए.

(४) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या कोई सदस्य, राज्य सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित में सूचना देकर अपना पद त्याग सकेंगे.

अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्यों का हटाया जाना.

७. (१) आयोग के किसी सदस्य को, —

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो; या

(ख) जो ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ग) जो ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; या

(घ) जो युक्तियुक्त कारण के बिना कम से कम तीन मास तक की कालावधि के लिये कार्य करने से इंकार कर चुका हो या कार्य करने में असफल रहा हो; या

(ङ) जो सदस्य के रूप में नियुक्ति की किन्हीं भी शर्तों में से किसी श[illegible] को पूरा नहीं करता हो; या

(च) जिसने ऐसा वित्ती[illegible] या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे कि प्र[illegible] सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो; या

(छ) जिसने स्वयं लोक हित के प्रतिकूल रीति में आचरण किया हो या जिसने [illegible]पनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयो[illegible] किया हो जिससे कि उसका पद पर बना रहना लोकहित के या इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्र[illegible]जनों के प्रतिकूल हो जाए,

अपने पद से हटाया जा सकेगा.

(२) सिवाय इसके कि जहां कोई सदस्य लिखित में आरोप स्वीकार कर लेता है, कोई भी सदस्य उपधारा (१) के खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) या (छ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर तब तक अपने पद से नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्देश किए जाने पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यथा अनुशंसित उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश ने ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात्, जैसी कि उच्च-न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित की जाए, यह रिपोर्ट न दे दी हो कि ऐसे आधार या आधारों पर सदस्य को हटा दिया जाना चाहिए.

(३) उपधारा (२) के अधीन किसी सदस्य के विरुद्ध जांच लंबित रहने पर राज्य सरकार, किसी सदस्य को आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में कार्य करने से केवल तभी निलंबित कर सकेगी यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उपधारा (२) के अधीन अन्वेषण करने के लिए नियुक्त किए गए न्यायाधीश द्वारा ऐसे निलंबन की जांच करने के लिए सिफारिश की जाती है.

(४) वह व्यक्ति जिसे आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य के पद से हटा दिया गया हो, आयोग में किसी भी हैसियत में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

८. (१) आयोग, एक व्यक्ति को आयोग की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए सचिव के रूप में नियुक्त करेगा. आयोग के सचिव, कर्मचारिवृन्द और परामर्शदाताओं की नियुक्ति.

(२) आयोग, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से, उसके कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता के लिए अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्गों का और आयोग के सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतनमान तथा भत्तों का और उनकी नियुक्ति के अन्य निबन्धन और शर्तों का भी अवधारण कर सकेगा.

(३) आयोग के व्यय जिनमें आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों को आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में देय वेतन और भत्ते भी सम्मिलित हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे.

(४) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के चयन का ढंग और रीति ऐसी होगी जैसी कि आयोग द्वारा विहित की जाए.

(५) आयोग समय-समय पर अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता करने के लिए अपेक्षित परामर्शियों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा, जो कि आयोग द्वारा विहित की जाएं.

अध्याय—तीन

आयोग के कृत्य, शक्तियां और कार्यवाहियां

९. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग, अन्य कृत्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :— आयोग के कृत्य.

(क) विद्युत् के क्रय, वितरण, प्रदाय और उपयोग को सेवा की गुणवत्ता, देय टैरिफ और प्रभारों को उपभोक्ता और विद्युत् उद्योग दोनों के ही हितों पर विचार करते हुए विनियमित करना;

(ख) राज्य में विद्युत् के उपयोग में दक्षता, मितव्ययता और सुरक्षा को प्रोन्नत करना, जिसमें सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता और यह कि विद्युत् की समस्त युक्तियुक्त मांग की पूर्ति होती है, भी सम्मिलित है;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार थोक, वृहद्‌रूप (बल्क), ग्रिड या फुटकर विद्युत् के लिए टैरिफ अवधारित करना;

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अन्तर्राज्यीय पारेषण की सुविधाओं के उपयोग के लिए देय टैरिफ अवधारित करना;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्तियां प्रदान करना, प्रतिसंहृत करना और उनमें संशोधन करना, अनुज्ञप्तियों में सम्मिलित की जाने वाली शर्तें अवधारित करना, अनुज्ञप्ति के लिए की जाने वाली अपेक्षाओं में छूट प्रदान करना और छूट प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें अवधारित करना;

(च) अनुज्ञप्तिधारियों के कामकाज को विनियमित करना और दक्ष, मितव्ययी और साम्यापूर्ण रीति में कामकाज किए जाने को प्रोन्नत करना;

(छ) अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्य लोगों से, और अन्य व्यक्तियों के साथ समन्वय करके विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण, प्रदाय और उपयोग की अभिवृद्धि के लिए अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्य व्यक्तियों से परिप्रेक्ष्य योजनाएं और स्कीमें बनाने की अपेक्षा करना;

(ज) विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण, प्रदाय और उसके उपयोग से संबंधित जानकारी एकत्रित करना तथा उसे अभिलिखित करना और मांग की जाने पर विद्युत् तथा उसके उपयोग के लिए ऐसी जानकारी और आंकड़े तथा पूर्वानुमान एकत्रित करने की अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्य व्यक्तियों से अपेक्षा करना;

(झ) राज्य में ऊर्जा की प्रणालियों के प्रचालन और राज्य में विद्युत् उद्योग से संबद्ध ... धित आस्तियों, संपत्तियों तथा संपत्तियों में के हित को विनियमित करना;

(ञ) राज्य में विद्युत् उद्योग के लिए मानक स्थापित करना और प्रवर्तित करना ..., गुणवत्ता, निरंतरता और सेवा की विश्वसनीयता संबंधी मानक तथा संकेतकी (कोड) और प्रदाय संकेतकी (सप्लाय कोड) का विकास करना सम्मिलित है और जिसमें ग्रिड कोड तथा वितरण कोड भी सम्मिलित हैं;

(ट) राज्य में विद्युत् उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना;

(ठ) समुचित मांग प्रबंधन के द्वारा विद्युत् के उपयोग में क्षय और हानियों में कमी करके विद्युत् के दक्षतापूर्ण उपयोग और उसके संरक्षण को बढ़ाना;

(ड). राज्य में विद्युत् उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण, प्रदाय और उपयोग से संबद्ध विषयों पर, राज्य सरकार को, ऐसी सहायता और सलाह देना जैसी कि आयोग समुचित समझे;

(ढ) यदि आयोग समुचित समझे तो मामले ऐसे अन्य अभिकरणों और निकायों को निर्दिष्ट करना जो उपभोक्ता विवादों, अनुज्ञप्तिधारियों के क्रियाकलापों के अवरोधक और अनुचित व्यापारिक व्यवहार तथा प्रबंधन तथा प्रशासन के मामलों का निपटारा करते हैं;

(ण) अनुज्ञप्तिधारियों के बीच विवादों और मतभेदों को न्यायनिर्णीत करना और यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आवश्यक समझा जाए तो मामलों को माध्यस्थम् को निर्दिष्ट करना;

(त) पर्यावारिक नियामक अभिकरणों के साथ समन्वय रखना और राज्य में विद्युत् उद्योग के समुचित पर्यावारिक विनियमन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करना;

(थ) अनुज्ञप्तिधारियों के बीच लेखाओं की एक समान प्रणाली अधिकथित करना और

(द) ऐसे समस्त आनुषंगिक या प्रासंगिक क्रियाकलाप हाथ में लेना जिन्हें कि आयोग ... उक्त किन्हीं भी कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समुचित समझे.

आयोग की शक्तियां.

१०. (१) आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का सं. ५) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन जारी करना तथा उसे उपस्थित होने के लिए विवश करना और शपथ पर परीक्षण करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य किसी दस्तावेज या किसी अन्य सारवान सामग्री का प्रकटीकरण तथा पेश किया जाना;

(ग) शपथ पर साक्ष्य का ग्रहण किया जाना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा किया जाना;

(ङ) साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना;

(च) अपने विनिश्चयों, निदेशों तथा आदेशों का पुनर्विलोकन करना; और

(छ) कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं.

(२) आयोग को अपने समक्ष की किसी कार्यवाही, सुनवाई या विषय में ऐसे अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी जो कि आयोग समुचित समझे;

(३) आयोग, लिखित में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं आयोग की मदद और सहायता करने के लिए किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(४) आयोग को किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने की शक्ति होगी कि वह —

(क) व्यक्ति अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में की, विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग उक्त क्षेत्रों में अंतर्ग्रस्त किन्हीं उपक्रमों के कृत्यों या अन्य विषयों से संबंधित किन्हीं ऐसी पुस्तकें, लेखा या अन्य दस्तावेज जो कि अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट या वर्णित की जाएं, और जिनकी परीक्षा आयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों या इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्यों के लिए आवश्यक या सुसंगत समझे, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए आयोग के किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें जो उनकी परीक्षा करने और उन्हें रखने के लिए अनुज्ञात है; और

(ख) इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए किसी अधिकारी को उस व्यक्ति के आधिपत्य, सामर्थ्य या नियंत्रण में की ऐसी जानकारी दे जो इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा अपेक्षित की जाए;

(५) आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी की पद श्रेणी से नीचे का न हो, किसी ऐसे भवन या स्थान में जहां आयोग को यह विश्वास करने का कारण हो कि जांच की विषयवस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) की धारा १०० के उपबंध जहां तक वे लागू हो सकते हैं के अध्यधीन रहते हुए उसे अभिगृहीत कर सकेगा या उससे उद्धरण या प्रतियां ले सकेगा;

(६) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के दौरान आयोग को यह विश्वास करने का कोई आधार हो कि किसी इकाई या व्यक्ति की या उससे संबंधित ऐसी कोई पुस्तकें या लेखा या दस्तावेजों की जिनके कि संबंध में ऐसी जांच की जा रही है या जिन्हें कि ऐसी इकाई के स्वामी से ऐसी जांच में पेश किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है, नष्ट किया जा रहा है, उन्हें विकृत किया जा रहा हैं, परिवर्तित किया जा रहा है; उनका मिथ्याकरण किया जा रहा है, या उन्हें छिपाया जा रहा है या उन्हें नष्ट किया जा सकता है, विकृत किया जा सकता हैं, परिवर्तित किया जा सकता है, उसका मिथ्याकरण किया जा सकता है या उन्हें छिपाया जा सकता है तो आयोग, लिखित आदेश

द्वारा आयोग के किसी अधिकारी को प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जिनका कि प्रयोग कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) की धारा २४० तथा २४०-क के अधीन निरीक्षण के लिए नियुक्त किए गए किसी निरीक्षक द्वारा किया जाता है;

(७) (क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, और अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए आयोग, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा आयोग को कालिक रूप से या जब कभी आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए, किसी व्यक्ति से जिसमें उत्पादन करने वाली कम्पनियां या अनुज्ञप्तिधारी सम्मिलित हैं, विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग से संबंधित क्रियाकलापों की जानकारी जिसमें ऐसे व्यक्ति और किसी अन्य व्यक्ति या उपक्रम के बीच संबंध या संसंग की जानकारी सम्मिलित है, देने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ख) आयोग को, किसी व्यक्ति से खण्ड (क) में उल्लिखित क्रियाकलाप से संबंधित जानकारी, पुस्तकें, लेखा और अन्य दस्तावेज, इन्हें केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए मंगाने की शक्तियों का प्रयोग करने का हक होगा.

(८) अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को उस सीमा तक जहां तक कि आयोग समय-समय पर उपयुक्त समझे, ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों से, जो कि आयोग के विनिश्चयों से प्रभावित हो सकते हों या जिनके प्रभावित होने की संभवना हो, परामर्श करने का हक होगा.

(९) कोई व्यक्ति, जिसे कि इस धारा के अधीन सूचना जारी की जाए, ऐसी जानकारी, पुस्तकें, लेखा और अन्य दस्तावेज सम्यक् रूप से देगा, जिनको देने के लिए आयोग निदेश दे और आयोग के इन निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने या उसमें विलंब के लिए इस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और वह दंडनीय होगा.

(१०) भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) की धारा १२ से १६ तक (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए) तथा धारा १८ और १९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, और विद्युत् के पारेषण, उप-पारेषण, वितरण और प्रदाय के लिए विद्युत् प्रदाय लाइनें बिछाने, साधित्र तथा साधन लगाने के लिये आयोग लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को या विद्युत् के पारेषण, उप-पारेषण, वितरण या प्रदाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि आयोग विनिर्दिष्ट करे, ऐसी कोई भी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगा जिनका कि प्रयोग भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, १८८५ (१८८५ का सं. १३) के अधीन टेलीग्राफ लाइनें बिछाने उन खम्भे खड़े करने के लिए टेलीग्राफ प्राधिकारी द्वारा किया जाता है.

आयोग की कार्यवाहियां.

११. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग को अपनी कार्यवाहियों के संचालन तथा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए विनियम बनाने की अनन्य शक्ति होगी और इस प्रकार बनाए गए ऐसे समस्त विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे.

(२) उपधारा (५) में यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा. आयोग के सदस्यों की राय में मतभेद होने के दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी तथा आयोग की राय बहुमत के विचारों पर अभिव्यक्त की जाएगी.

(३) आयोग के सम्मिलन के लिए गणपूर्ति दो सदस्यों से होगी, परन्तु आयोग द्वारा पूर्व में लिए गए किसी विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आयोग के सम्मिलन की गणपूर्ति उपधारा (५) के अध्यधीन रहते हुए उपस्थित समस्त सदस्यों से होगी.

(४) जब आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन), अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है तब आयोग का वरिष्ठ सदस्य, अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के कृत्यों का निर्वहन उस दिन तक करेगा जब तक कि अध्यक्ष (चेयरपर्सन) अपना पद का भार ग्रहण न कर ले.

(५) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) जिसमें आयोग का वरिष्ठ सदस्य भी सम्मिलित है, उस दशा में जहां वह अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हो, का द्वितीय या निर्णायक मत होगा :

परन्तु जहां अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या किसी सदस्य के पद में रिक्ति के कारण केवल दो सदस्य या अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या किसी सदस्य को ऐसी निःशक्तता के कारण आयोग, तीस दिन से अधिक की कालावधि अध्यक्ष (चेयरपर्सन) समस्त तीन सदस्यों से कार्यवाहियां नहीं कर सकता है वहाँ, अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या यथास्थिति अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के रूप में कार्य कर रहे वरिष्ठ सदस्य का मत केवल ऐसी रिक्ति या निःशक्तता की कालावधि के दौरान द्वितीय और निर्णायक होगा :

परन्तु यह और कि प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट ऐसी रिक्ति या निःशक्तता के दौरान, आयोग द्वारा पूर्व में किए गए किसी विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए दो सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(६) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य के पद में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने मात्र से ही आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.

(७) आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) सचिव को अनुदेश दे सकेगा कि वह आयोग का सम्मिलन ऐसे समय तथा ऐसे स्थान पर बुलाएं जैसा कि अध्यक्ष (चेयरपर्सन) निदेश दे तथा इसके अतिरिक्त आयोग का कोई सदस्य अन्य सदस्यों तथा सचिव को लिखित में सूचना देकर किसी भी समय आयोग का सम्मिलन बुलाने का अनुरोध कर सकेगा.

(८) सदस्यों को समस्त सम्मिलनों की सूचना लिखित में दी जाएगी जब तक कि समस्त सदस्य लिखित में सूचना का अधित्यजन न कर दें.

(९) आयोग को परिचालन द्वारा अति-आवश्यक मामलों का विनिश्चय करने का हक होगा.

(१०) आयोग के समस्त विनिश्चय, निदेश तथा आदेश लिखित में होंगे और उनके समर्थन में कारण दिए जाएंगे. जिसमें भिन्न राय रखने वाले सदस्य भी सम्मिलित हैं, आयोग के विनिश्चय, निदेश तथा आदेश आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय, किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और उनकी प्रतियां, उस रीति में जो आयोग विहित करे उपलब्ध की जाएंगी.

(११) आयोग की कार्यवाहियां, जब तक आयोग द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, जनता के लिए खुली रहेंगी.

अध्याय-चार
राज्य सरकार की शक्ति

१२. (१) राज्य सरकार को राज्य में विद्युत् संबंधी विषयों पर, उन उपायों को सम्मिलित करते हुए जो राज्य में विद्युत् उद्योग के विकास के लिए समग्र योजना तथा समन्वय के लिए आवश्यक समझे जाएं, नीति निदेश जारी करने की शक्ति होगी. राज्य सरकार की सामान्य शक्ति.

(२) उपधारा (१) के अधीन नीति निदेश लिखित में होंगे तथा इस अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने हेतु चाहे गए उद्देश्यों से संगत होंगे, और वे आयोग के उन कृत्यों तथा शक्तियों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं डालेंगे या उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिनमें इस अधिनियम के अधीन आयोग में निहित अनुज्ञापन तथा टैरिफ का अवधारण करने की शक्ति भी सम्मिलित है किन्तु वह वहां तक सीमित नहीं है.

(३) राज्य सरकार विद्युत् उद्योग को प्रभावित करने वाले किसी भी नीति निदेश, जो वह जारी करती है या कोई विधान जो अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में आयोग से परामर्श करेगी तथा वह उन सिफारिशों पर यदि कोई आयोग द्वारा दी गई हो, ऐसे समय के भीतर जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, सम्यक् रूप से विचार में लेगी.

राज्य सरकार और आयोग के बीच विवाद का माध्यस्थम्.

१३. (१) यदि धारा १२ में विनिर्दिष्ट विषयों पर राज्य सरकार और आयोग के बीच कोई विवाद या मतभेद उ होता है तो उसको विनिश्चय के लिए केन्द्रीय आयोग को निर्दिष्ट किया जाएगा.

(२) ऐसा निर्देश किया जाने पर, नियुक्त किया गया व्यक्ति यथासंभव ९० दिन के भीतर निर्देश का विनिश करेगा तथा उस विषय पर उसका विनिश्चय अंतिम तथा आबद्धकर होगा.

अध्याय-पांच

पारेषण तथा प्रदाय का अनुज्ञापन

अनुज्ञापन.

१४. (१) कोई व्यक्ति जो ऐसा करने के लिए अनुज्ञप्ति द्वारा या इस अधिनियम के अधीन छूट के कारण प्राधिकृ है या जो भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ सं. ५४) के अधीन प्राधिकृत किया गया है या जिसे छूट दी गई है, से भिन्न कोई भी व्यक्ति राज्य में,—

(क) विद्युत् पारेषण; या

(ख) विद्युत् प्रदाय, जिसमें वृहद रूप (बल्क) में प्रदाय उप-पारेषण या वितरण सम्मिलित है, का कारबा नहीं करेगा :

परन्तु समस्त व्यक्ति जो भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) के अधीन प्राधिकृत हो या छूट दी गई है, के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे उन निबंधनों तथा शर्तों पर जिन पर कि पहले ही अनुज्ञप्ति या छूट दी जा चुकी है इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी हैं, और किसी अनुज्ञप्तिधारी को लागू इस अधिनियम के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे.

(२) जहां कोई ऐसा प्रश्न उद्‌भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति, उपधारा (१) में यथावर्णित विद्युत् पारेषण या प्रदाय करने के कारबार में लगा है या नहीं लगा है, ऐसे प्रश्न पर आयोग का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा.

(३) आयोग को किसी ऐसे व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्ति नहीं दी गई है या अन्यथा प्राधिकृत नहीं किया गया है, को यह आदेशित करने की शक्ति होगी कि वह राज्य में विद्युत् पारेषण, उप-पारेषण, वितरण या प्रदाय करना बंद कर दे तथा उनसे संबंधित अपने साधित्र को विच्छेदित कर दे.

(४) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से छह मास की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार को राज्य में विद्युत् पारेषण करने या प्रदाय करने के कारबार के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को बारह मास से अनधिक की अवधि तक ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर जो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों से संगत अवधारित करे निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनंतिम अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्ति होगी,—

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रत्येक अनंतिम अनुज्ञप्ति तत्काल आयोग के समक्ष रखी जाएगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए किया गया आवेदन समझा जाएगा; और

(ख) इस धारा के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनंतिम अनुज्ञप्ति उस तारीख से विधिमान्य नहीं रहेगी जो आयोग उपरोक्त खण्ड (क) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर अपने आदेश में विनिर्दिष्ट करे.

(५) राज्य सरकार, उपधारा (४) के अधीन अनंतिम अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी शक्तियां, अधिकार तथा प्राधिकार प्रदत्त करने को हकदार होगी, जैसा कि आयोग इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारक को प्रदान करने का हकदार है.

(६) आयोग इस अधिनियम के अधीन उपधारा (४) के अधीन किसी अनंतिम अनुज्ञप्ति के संबंध में समस्त शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग उसी रीति में करने का हकदार होगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा १५ के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी के मामले में किया जाता है.

आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना.

१५. (१) आयोग, विहित प्ररूप में आवेदन किया जाने तथा ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो कि आयोग विहित करे, किसी व्यक्ति को,—

(क) पारेषण के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विद्युत् पारेषण करने के लिए; या

(ख) विद्युत् या विद्युत् प्रदाय वृहद् रूप (बल्क) में किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विद्युत् प्रदाय करने के लिए किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति को उसका (विद्युत् का) उप-पारेषण या वितरण या प्रदाय करने हेतु, प्राधिकृत करते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा.

(२) ऐसी किसी भी अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे,—

(क) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति आवेदन करने के पश्चात् १४ दिन के भीतर ऐसी रीति में तथा ऐसी विशिष्टियों सहित जो कि आयोग द्वारा विहित की जाएं, आवेदन की सूचना का प्रकाशन करेगा;

(ख) आयोग तब तक अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं करेगा जब तक कि—

(एक) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन से संबंधित प्राप्त समस्त आक्षेपों पर आयोग द्वारा विचार न कर लिया गया हो :

परन्तु किसी भी आक्षेप पर आयोग तब तक विचार नहीं कर सकेगा जब तक कि वह खण्ड (क) के अधीन सूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख से ऐसे समय के भीतर जो आयोग द्वारा विहित किया जाए, जो कि ३० दिन से कम का नहीं होगा, प्राप्त नहीं हो जाए; और

(दो) किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें किसी छावनी, हवाई अड्डे, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प या रक्षा प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार के अधिभोग में के किसी भवन या स्थान का संपूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है, प्रदाय या पारेषण की अनुज्ञप्ति के लिए किसी आवेदन-पत्र के मामले में आयोग ने यह अभिनिश्चित न कर लिया हो कि वहां केन्द्र सरकार की ओर से अनुज्ञप्ति दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है.

(३) भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) की धारा ५२ या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (दो) तथा धारा ७६ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अनुज्ञप्तियों को प्रदान किए जाने की यह शर्त होगी कि आयोग को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विवादों का न्यायनिर्णयन करने या उन्हें तय करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने या मध्यस्थ को नामनिर्दिष्ट करने की शक्ति होगी.

(४) (क) अनुज्ञप्ति में ऐसी अवधि सीमा जिस तक और ऐसे निर्बंधन तथा शर्तें जिनके अधीन विद्युत् का पारेषण या प्रदाय किया जाना हो, अंतर्विष्ट होंगी और उसमें ऐसी अन्य शर्तें भी अंतर्विष्ट होंगी जिन्हें आयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए समुचित समझे.

(ख) खण्ड (क) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षित होगा कि वह—

(एक) अपने (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा संचालित विद्युत् लाइनें, विद्युत् संयंत्र और सह उपस्कर के उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति से विनिर्दिष्ट निबंधनों पर करार करें;

(दो) ऐसी जानकारी तथा दस्तावेजें जिनका आयोग अपने प्रयोजन के लिए या केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय आयोग या केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकारी के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करें, उपलब्ध कराए;

(तीन) भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) तथा विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) के अधीन बोर्ड के ऐसे कृत्यों और बाध्यताओं का, जैसा आयोग विनिर्दिष्ट करे, जिम्मा ले;

(चार) ऐसी बातों पर जो अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन या अपेक्षित हैं या उनसे विचलन के लिए अपेक्षित हैं, आयोग का अनुमोदन अभिप्राप्त करे;

(पांच) कोई स्कीम जिसे अनुज्ञप्तिधारी लेना प्रस्तावित कर रहा है, जिसमें इस अधिनियम के उपबंधों और विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) के लागू उपबंधों के अनुसार स्कीम भी सम्मिलित है, आयोग को अधिसूचित करे;

(छह) मितव्ययी रीति में विद्युत् का क्रय करे जिसमें विद्युत् शक्ति की न्यूनतम लागत क्षमता के सिद्धांत का विचार और पारदर्शी विद्युत् (शक्ति) क्रय उपापन प्रक्रिया सम्मिलित है;

(सात) विद्युत् प्रदाय के लिये मीटर लगाने के प्वाइंट्स तथा विद्युत् के पारेषण तथा प्रदाय में होने वाले नुकसान को कम करने के उपायों के लिये स्कीम प्रस्तुत करें;

(आठ) अन्य अनुज्ञप्तिधारियों या उपभोक्ताओं को विद्युत् वृहद् रूप (बल्क) में प्रदाय करे;

(नौ) आयोग द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करें;

(दस) अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अनुसार कार्य करें;

(ग्यारह) इस अधिनियम, विनियमों, भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) तथा विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) या उनके अधीन विरचित नियमों की अपेक्षाओं जहां तक वे लागू हों, का अनुपालन करे.

(५) उपधारा (४) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति में सम्मिलित शर्तों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा की जा सकेगी कि वह टैरिफ स्थापित करे और समय-समय पर इस अधिनियम के उपबंधों से संगत अपने प्रभारों की गणना करे.

(६) भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) की अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबंध सिवाय जहां तक कि अनुज्ञप्ति द्वारा उन्हें अभिव्यक्त रूप से परिवर्तित किया हो या उनमें छूट दी गई हो इस भाग के अधीन दी गई प्रत्येक प्रदाय अनुज्ञप्ति के साथ सम्मिलित समझे जाएंगे और उसके भाग बन जाएंगे और इस अधिनियम के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनुकूलन, परिवर्तन या अपवाद के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें आयोग कर सकता है, राज्य में अपने क्रियाकलापों के संबंध में अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत उपक्रम पर लागू होंगे :

परन्तु जहां आयोग द्वारा अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को उनके द्वारा वितरण के लिए विद्युत् का प्रदाय करने के लिये प्रदाय अनुज्ञप्ति दी गई हो, जहां उक्त अनुसूची के खण्ड चार, पांच, छह, सात, आठ तथा बारह के उपबंध, जहां तक ऐसी अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रदाय से संबंध हो, प्रदाय अनुज्ञप्ति में सम्मिलित किए गए नहीं समझे जाएंगे.

(७) किसी अनुज्ञप्ति में सम्मिलित शर्तों में किसी शर्त के ऐसे समय पर, ऐसी रीति में और ऐसी परिस्थितियों में जैसी कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं या शर्तों द्वारा या उनके अधीन अवधारित की जाएं, प्रभावहीन हो जाने या उसे उपांतरित किए जाने की शर्तों का उपबंध समाविष्ट किया जा सकेगा.

(८) किसी अनुज्ञप्ति में उपधारा (७) के आधार पर सम्मिलित कोई उपबंध इस अधिनियम की धारा १७ तथा धारा १८ की उपधारा (५) के द्वारा किए गए उपबंधों के अतिरिक्त प्रभावी होंगे.

(९) जब तक किसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों में विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो तब तक किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति का दिया जाना प्रदाय के उसी क्षेत्र के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को समान प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान करने में बाधक नहीं होगा और अनुज्ञप्तिधारी किसी अनन्यता का दावा नहीं करेगा.

(१०) इस अधिनियम के अनुसार आयोग द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति में यह उपबंध हो सकेगा कि अनुज्ञप्तिधारी को, विद्युत् प्रदाय के मीटरिंग पाइन्ट, राजस्व वसूली, विद्युत् के असंयोजन, चोरी के लिये अभियोजन, मीटर बिगाड़ने, विद्युत् के अपयोजन और विद्युत् के पारेषण, उप पारेषण, वितरण या प्रदाय को प्रभावित करने वाले समस्त और उसी प्रकार के विषयों पर आयोग जैसा कि विहित करे कार्यवाई करने की शक्ति तथा प्राधिकार होगा.

(११) आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों तथा अन्य व्यक्तियों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करने का हकदार होगा जो कि उन्हें भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) तथा विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) के उपबंधों के अधीन दी जा सकती है/दिया जा सकता है.

अनुज्ञप्ति रखने की आवश्यकता से छूट.

१६. (१) आयोग अनुज्ञप्ति रखने की आवश्यकता से छूट प्रदान करने के लिये किन्तु ऐसी शर्तें, यदि कोई हों, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए विनियम बना सकेगा :

परन्तु जहां आयोग छूट देने के आदेश के अधीन या विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित करे के सिवाय, छूट प्राप्त व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उन सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करे जिनका अनुपालन करना किसी अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति के अधीन या इस अधिनियम या विनियमों के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है.

(२) आयोग ऐसे किसी भी विनियम के अधीन निम्नलिखित की सहमति के सिवाय छूट प्रदान नहीं करेगा:—

(एक) उस क्षेत्र में गठित स्थानीय प्राधिकरण, यदि कोई हो, की जहां विद्युत् प्रदाय की जानी हो;

(दो) किसी ऐसे मामले में, जहां किसी क्षेत्र में विद्युत् प्रदाय किया जाना हो वह किसी छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुध शाला या कैम्प का भाग हो या ऐसे किसी भवन या स्थान का भाग हो जो रक्षा प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के अधिभोग में हो, वहां केन्द्रीय सरकार की;

(तीन) पारेषण या प्रदाय के क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र के अनुज्ञप्तिधारी की:

परन्तु यह और कि उपखंड (दो) के अधीन आने वाले किसी मामले के सिवाय, यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि सहमति अनुचित रूप से रोकी गई है तो ऐसी सहमति आवश्यक नहीं होगी.

(३) (क) किसी विशिष्ट प्रवर्ग के व्यक्ति को; या

(ख) किसी विशिष्ट व्यक्ति को; या

(ग) किसी विशिष्ट कालावधि के लिए,

छूट दी जा सकेगी.

(४) प्रदान की गई कोई छूट, ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी जैसी कि आयोग को समुचित लगे.

(५) आयोग प्रदान की गई छूट को ऐसे कारणों सहित जो लिखित में लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगा.

(६) कोई छूट जब तक कि उसे पूर्व में प्रतिसंहृत न किया गया हो तब तक वह ऐसी कालावधि के लिए जैसा कि छूट प्रदान करने के आदेश द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए या अवधारित किया जाए, प्रवृत्त बनी रहेगी.

अनुज्ञप्ति की शर्तों का संशोधन.

१७. (१) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर या यदि अनुज्ञप्तिधारी स्थानीय प्राधिकारी नहीं हो तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर या अन्यथा इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए किसी अनुज्ञप्ति के निबंधन तथा शर्तों में जो वह उचित समझे, ऐसे परिवर्तन तथा संशोधन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर सकेगा जो उसकी राय में लोकहित में ऐसा करने की अनुज्ञा देते हों या अपेक्षा करते हों:

परन्तु धारा १५ की उपधारा (७) या धारा १८ की उपधारा (५) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसरण में किए गए परिवर्तन या संशोधन से भिन्न कोई ऐसा परिवर्तन या संशोधन अनुज्ञप्तिधारी की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा.

(२) जहां अनुज्ञप्तिधारी ने अपनी अनुज्ञप्ति की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित करते हुए उपधारा (१) के अधीन कोई आवेदन किया हो तो वहां निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे:—

(क) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन की एक सूचना, ऐसी रीति में और ऐसी विशिष्टियों के साथ जैसे कि आयोग द्वारा विहित किए जाएं प्रकाशित करेगा;

(ख) आयोग तब तक कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा जब तक कि सूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन के ऐसे समय के भीतर, जैसा आयोग विनिर्दिष्ट करे, आवेदन के संदर्भ में उसके द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार न कर लिया गया हो; और

(ग) प्रदाय के किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प या कोई ऐसा भवन या स्थान पूर्णतः समाविष्ट है या उसमें उसका कोई भाग जो प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये केन्द्रीय सरकार के अधिभोग में हो, प्रदाय की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों में प्रस्तावित करने वाले किसी परिवर्तन या संशोधन के आवेदन की दशा में, आयोग, केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करेगा.

(३) अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन के बिना, अनुज्ञप्ति की किसी शर्त में कोई परिवर्तन या संशोधन करने से पूर्व, आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों या संशोधनों को प्रकाशित करेगा और प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संदर्भ में उसके द्वारा, प्राप्त सभी आपत्तियों पर ऐसे समय के भीतर, जैसा आयोग विनिर्दिष्ट करे, जो कि ३० दिन से कम का नहीं होगा, विचार करेगा.

अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण.

१८. (१) आयोग, इस अधिनियम या इसके अधीन विरचित विनियमों या अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन बाध्यताओं को निभाने में किसी अनुज्ञप्तिधारी के आचरण या कृत्य की जांच,—

(क) किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता संगम या किसी व्यापारिक संगम से किसी शिकायत के प्राप्त होने पर; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय आयोग या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर; या

(ग) विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण या प्रदाय में लगी किसी कंपनी या व्यक्ति से शिकायत प्राप्त होने पर; या

(घ) किसी भी स्रोत से प्राप्त अपने स्वयं के ज्ञान या जानकारी पर, कर सकेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन, आयोग, जांच करने के पश्चात् यदि उसकी राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो तो ऐसे निम्नलिखित किसी मामले में अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) जहां अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों या भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के साथ पठित राज्य में लागू होने की सीमा तक इस अधिनियम के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन अपेक्षित किसी बात के करने में जानबूझकर या अनुचित चूक की है;

(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबंधनों और शर्तों को भंग किया है जिसके संबंध में अनुज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया हो कि ऐसे भंग से अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण होगा;

(ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या किसी दीर्घतर कालावधि के भीतर जो कि आयोग, आदेश द्वारा अनुज्ञात करे,—

(एक) आयोग को समाधानप्रद रूप से यह बताने में कि वह अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं को पूर्ण रूप से और दक्षतापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति में है; तथा

(दो) अनुज्ञप्ति द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति को जमा करने या देने में,

असफल रहता है.

(घ) जहां अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि अनुज्ञप्ति द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और बाध्यताओं को अनुज्ञप्तिधारी पूर्ण रूप से और दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ है.

(३) उपधारा (१) तथा (२) के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो, आयोग, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर या अनुज्ञप्तिधारी की सहमति से तथा यदि अनुज्ञप्तिधारी स्थानीय प्राधिकारी नहीं है तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात्, पारेषण या प्रदाय के क्षेत्र में पूर्ण या किसी भाग के संबंध में अनुज्ञप्ति को ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो कि वह उचित समझे, प्रतिसंहृत कर सकेगा.

(४) उपधारा (२) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक प्रतिसंहृत नहीं की जाएगी जब तक आयोग ने उन आधारों को जिन पर अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण किया जाना प्रस्तावित है, कथन करते हुए लिखित में कम से कम ३० दिन की सूचना अनुज्ञप्तिधारी को न दे दी हो तथा प्रस्तावित प्रतिसंहरण के विरुद्ध उक्त सूचना की कालावधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी कारण पर विचार न कर लिया हो तथा ऐसे प्रतिसंहरण के लिए कारण न दे दिया हो.

(५) आयोग, अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने के बजाय ऐसे और निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, अनुज्ञप्ति को प्रवृत्त रहने की अनुज्ञा दे सकेगा और इस प्रकार अधिरोपित निबंधन तथा शर्तें उस पर बाध्यकारी होंगी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनका पालन किया जाएगा तथा उनका वही बल और प्रभाव होगा मानो कि वे अनुज्ञप्ति में अंतर्विष्ट थीं.

जहां अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जाती है वहां उपबंध.

१९. (१) भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) की धारा ६ तथा ७ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां आयोग धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करता है वहां निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, —

(क) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिसंहरण की सूचना की तामील करेगा तथा एक तारीख नियत करेगा जिसको प्रतिसंहरण प्रभावी होगा तथा उस तारीख से, या ऐसी तारीख को या से, यदि वह पूर्वतर हो,

जिस पर अनुज्ञप्तिधारी का उपक्रम इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में किसी क्रेता को विक्रय कर दिया गया हो, किसी बाध्यता या दायित्वों के सिवाय जो उस तारीख तक प्रोद्भूत हो चुके थे, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के समस्त अधिकार, कर्तव्य, बाध्यताएं तथा दायित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे तथा उनका पर्यवसान हो जाएगा;

(ख) आयोग, उस अनुज्ञप्तिधारी के, जिसकी कि अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की गई हो, उपक्रम के अर्जन के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा तथा संदेय कीमत तथा उपक्रम के विक्रय के अन्य निबंधन तथा शर्तें अवधारित करेगा;

(ग) आयोग, लिखित सूचना द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह खण्ड (ख) के अधीन अवधारित की गई कीमत तथा निबंधनों और शर्तों पर विक्रय करे और तदुपरि अनुज्ञप्तिधारी उपक्रम उस व्यक्ति को (जो इस धारा में इसके पश्चात् "क्रेता" के नाम से निर्दिष्ट है) विक्रय कर देगा तथा जिसका कि आवेदन आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया हो; और

(घ) आयोग, विद्युत् पारेषण तथा प्रदाय का अनुरक्षण करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम के संबंध में ऐसा अंतरिम इंतजाम कर सकेगा जैसा कि समुचित माना जाए, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम के लिए प्रशासकों तथा विशेष निदेशकों की नियुक्ति भी सम्मिलित है.

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी उपक्रम का विक्रय किया जाता है, वहां क्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के अनुसार अवधारित उपक्रम की क्रय कीमत आयोग के निदेशानुसार जमा की जाएगी और आयोग को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को रकम जारी करने के पूर्व, अधिनियम की धारा ३१ के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी पर उद्गृहीत कोई भी जुर्माना, प्रभार या प्रतिकर की बकाया रकम या आयोग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार आयोग या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी से शोध्य या बकाया रकम को जमा की गई रकम में पहले समायोजित किया जाए.

(३) जहां आयोग, उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा करते हुए कोई सूचना जारी करे कि वह अपने उपक्रम का विक्रय कर दे, वहां वह ऐसी सूचना द्वारा उपक्रम को परिदत्त करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकेगा और तदुपरि अनुज्ञप्तिधारी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को उपक्रम की क्रय कीमत का भुगतान लंबित रहते हुए पदाभिहित क्रेता को उपक्रम परिदत्त कर देगा:

परन्तु किसी ऐसे मामले में क्रेता उपक्रम को, परिदत्त किए जाने की तारीख से क्रय कीमत के भुगतान किए जाने तक की कालावधि के लिए उपक्रम परिदत्त करते समय रिजर्व बैंक की प्रवृत्त उधार दर से अनधिक ऐसी दर से क्रय कीमत पर अनुज्ञप्तिधारी को ब्याज देगा, जैसा कि आयोग विनिश्चित करे.

(४) अनुज्ञप्तिधारी इस धारा के अधीन आयोग के आदेशों को सम्यक् रूप से कार्यान्वित करेगा, चाहे अनुज्ञप्तिधारी आयोग के आदेश से व्यथित हो और आयोग के आदेशों को आक्षेपित करने का आशय रखता हो.

अनुज्ञप्तिधारक तथा उत्पादक कंपनियों के साधारण कर्तव्य तथा शक्तियां.

२०. (१) किसी अनुज्ञप्ति के धारक का यह कर्तव्य होगा कि वह यथास्थिति पारेषण के क्षेत्र या विद्युत् प्रदाय या विद्युत् के वृहद्रूप (बल्क) में प्रदाय के क्षेत्र में, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, विद्युत् पारेषण, उप-पारेषण, वितरण या प्रदाय की एक दक्षतापूर्ण, समन्वय तथा मितव्ययी प्रणाली का विकास करे तथा उसको बनाए रखना.

(२) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रत्येक उत्पादक कम्पनी, ऊर्जा प्रणाली तथा विद्युत् प्रदाय की लाइनों के प्रचालन तथा अनुरक्षण के संबंध में समय-समय पर विरचित विनियमों के उपबंधों का पालन करेगी.

(३) आयोग, निर्बन्धन, अपवाद तथा शर्तें यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) की धारा १२ से १९ तक विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसका संबंध कार्य करने से है, इस अधिनियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति द्वारा विद्युत् का पारेषण या प्रदाय करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो कि वह व्यक्ति उक्त अधिनियम में एक अनुज्ञप्तिधारी है.

अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादक कंपनियों पर निर्बन्धन.

२१. (१) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादक कम्पनी किसी भी समय जहां तक विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण या प्रदाय के कारबार का संबंध है, आयोग की लिखित में पूर्व सहमति के बिना, किसी भी अन्य ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति की अनुज्ञप्ति या उपक्रम को जो विद्युत् का उत्पादन, पारेषण, प्रदाय कर रहा है या उत्पादन,

पारेषण, उप-पारेषण या विद्युत् प्रदाय करने का आशय रखता हो, क्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित नहीं करेगा या उसके साथ सहयुक्त नहीं होगा :

परन्तु ऐसी सहमति के लिए आवेदन करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी अपने आवेदन की—

(क) आयोग को; और

(ख) यदि अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय अनुज्ञप्ति धारण करता है, अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय के क्षेत्र में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को तथा उस क्षेत्र में भी, यदि कोई हो, जिसमें ऐसा अन्य व्यक्ति विद्युत् प्रदाय करता है या विद्युत् प्रदाय करने का आशय रखता है, के स्थानीय प्राधिकरण को,

कम से कम एक मास की सूचना देगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहयुक्त समझा जाएगा यदि वह किसी के स्वामित्व, प्रबंधन के कारण या किसी अन्य रीति से जुड़ा हुआ हो और अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त कारबार का हित रखता हो.

(२) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय, आयोग की लिखित में पूर्व सहमति के बिना विक्रय, बन्धक, पट्टा, विनिमय द्वारा या अन्यथा अपनी अनुज्ञप्ति को समनुदेशित नहीं करेगा या अपने उपक्रम या उसके किसी भाग का अंतरण नहीं करेगा.

(३) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) की धारा ४४ के उपबंध राज्य में निम्नलिखित संशोधनों सहित लागू होंगे :—

(क) उक्त धारा में अपेक्षित सहमति, उक्त धारा के अधीन यथाउपबंधित मंडल से अभिप्राप्त की जाने वाली ऐसी सहमति के स्थान पर वह आयोग से ली जाएगी;

(ख) उक्त धारा ४४ की उपधारा (१) के परंतुक के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग को यह अधिकार होगा कि वह सहमति देने से इंकार कर दे, यदि आयोग की यह राय हो कि सहमति देने से राज्य में ऊर्जा प्रणाली के दक्षतापूर्ण रीति से प्रचालन में या विद्युत् उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अन्यथा लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) उक्त धारा ४४ की उपधारा (३) के उपबंध राज्य में लागू नहीं होंगे.

(४) किसी प्रदाय अनुज्ञप्ति का धारक, जब तक कि उसकी अनुज्ञप्ति के निबंधनों द्वारा या आयोग द्वारा पारित किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिषिद्ध न हो, निम्नलिखित से विद्युत् का क्रय करने के लिए इन्तजाम कर सकेगा :—

(क) किसी प्रदाय अनुज्ञप्ति के धारक से जो कि ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को, अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को उनके द्वारा वितरण के लिए विद्युत् प्रदाय करने की अनुज्ञा देता है; और

(ख) ऊर्जा क्रय उपापन प्रक्रिया को शासित करने वाले आयोग द्वारा विहित विनियमों के अनुसार किसी भी विद्युत् उत्पादक कम्पनी से या अन्य विद्युत् प्रदायकों से.

(५) यदि उपधारा (१), (२), (३) या (४) में वर्णित प्रकृति के किसी भी संव्यवहार से संबंधित कोई भी करार, जब तक वह उक्त उपधारा में अन्तर्विष्ट उपबंध के अनुसार या उनके अध्यधीन नहीं किया जाता है, तो वह शून्य होगा.

अनुज्ञप्तिधारियों के वार्षिक लेखा.

२२. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जब तक कि उसे आयोग द्वारा अभिव्यक्त रूप से छूट प्राप्त न हो, अपने उपक्रम का और ऐसी तारीख को चनाई गई प्रत्येक ऐसी पृथक् कारबार की इकाई के लेखा का एक वार्षिक विवरण या विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए और संपरीक्षित या सत्यापित करके, जैसा कि आयोग निदेशित करे, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख के पूर्व तैयार करेगा और आयोग को प्रस्तुत करेगा और उसके ऐसे विवरण या उद्धरण आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई रीति में प्रकाशित किए जाएंगे.

अध्याय-छह

बोर्ड का पुनर्गठन

मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल की संपत्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का पुनर्गठन.

२३. (१) राज्य सरकार, अंतरण स्कीम के लिए मंडल को पुनर्गठित करने और मडंल या उसके ऐसे भाग के जो कि उसकी आस्तियां, संपत्तियां, संपत्तियों में हित, कार्यवाहियों और दायित्वों से मिलकर बना हो, कृत्यों, कर्तव्यों, शक्तियों तथा बाध्यताओं के अंतरण को उन निबंधनों तथा शर्तों पर जो कि राज्य सरकार अंतरण स्कीम में उपबंधित करे, प्रभावशील करने के लिए उपबंध करने हेतु समय-समय पर नियम विरचित कर सकेगी.

(२) जिस तारीख को तथा से उपधारा (१) के अधीन अंतरण स्कीम प्रकाशित की जाती है या उस तारीख को और से ऐसी अन्य तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् प्रभावी तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) जैसी कि ऐसी अंतरण स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि आस्तियों, संपत्तियों, संपत्तियों में हित, कार्यवाहियों, दायित्वों, अधिकारों और बाध्यताओं से मिलकर बनने वाले मंडल के ऐसे उपक्रम या उसके ऐसे भाग जो प्रभावी तारीख के अव्यवहित पूर्व मंडल के हैं, अंतरण स्कीम में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों पर, बोर्ड या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी और कृत्य, विलेख या बात के बिना, राज्य सरकार को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे.

(३) राज्य सरकार, समय-समय पर, अंतरण स्कीम के लिए, उन उपक्रमों के अंतरण को प्रभावशील करने के लिए जो कि उपधारा (२) के अधीन राज्य में निहित है, ऐसी कंपनियों या निगमित निकायों या व्यक्ति या प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अंतरिती" कहा गया है) को, ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर जैसा कि राज्य सरकार अंतरण स्कीम में उपबंधित करे, का उपबंध करने हेतु नियम विरचित कर सकेगी और ऐसा अंतरण तथा अंतरिती में ऐसा निहित किया जाना किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी और कृत्य, विलेख या बात के बिना अंतरण स्कीम में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा.

(४) राज्य सरकार, ऐसे अंतरिती से (जो इसमें इसके पश्चात् प्रथम अंतरिती के नाम से निर्दिष्ट है) परामर्श करने के पश्चात् जिसे कि पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार यथास्थिति कृत्य, कर्तव्य, अधिकार, शक्तियां या उपक्रम अंतरित किए गए हैं और उसमें निहित हो गए हैं, किसी अन्य कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्ति या प्राधिकारी को (जो इसमें इसके पश्चात् द्वितीय अंतरिती के नाम से निर्दिष्ट है) उपक्रमों का ऐसा भाग ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रथम अंतरिती से द्वितीय अंतरिती को अंतरित करने का उपबंध करने हेतु अंतरण स्कीम के लिए नियम विरचित कर सकेगी और ऐसा अंतरण किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी और कृत्य, विलेख या बात के बिना अंतरण स्कीम में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा.

(५) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) या उसके अधीन विरचित किन्हीं नियमों के अधीन मंडल द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसे कृत्य, कर्तव्य, शक्तियां और बाध्यताएं, ऐसे प्रथम अंतरिती या द्वितीय अंतरिती या अन्य कंपनियों या निगमित निकायों या व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होंगे जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे.

(६) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस भाग के अधीन अंतरण स्कीम के अनुसरण में किसी भी प्रकार का संव्यवहार किया जाता है, वहां वह समस्त व्यक्तियों पर जिसमें तृतीय पक्षकार भी सम्मिलित है आबद्धकर होगा.

(७) अंतरण स्कीम में:—

(क) अंतरित की जाने वाली संपत्ति, संपत्ति में हित, अधिकार और दायित्व को;

(एक) प्रश्नगत सम्पत्ति, अधिकार और दायित्वों को विनिर्दिष्ट या वर्णित करते हुए;

(दो) उपक्रम के किसी, विनिर्दिष्ट भाग में समाविष्ट समस्त संपत्ति, संपत्ति में हित, अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट करते हुए; या

(तीन) भागत: एक रीति में और भागत: अन्य रीति में, परिभाषित किया जा सकेगा;

(ख) यह उपबंध किया जा सकेगा कि स्कीम में विनिर्दिष्ट या वर्णित कोई अधिकार या दायित्व प्रथम अंतरिती या द्वितीय अंतरिती द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे;

(ग) उपक्रमों की पुनर्संरचना या पुनर्गठन के लिए उपबंध कर सकेगी जिसमें समनुषंगी और सह उद्यम का बनाया जाना, विलयन और विलयन को समाप्त करना भी सम्मिलित है;

(घ) किसी अनुज्ञप्तिधारी पर किसी अन्य पश्चात्वर्ती अनुज्ञप्तिधारी के साथ ऐसे लिखित करार करने या उसके पक्ष में ऐसी अन्य लिखतें निष्पादित करने के लिए बाध्यता अधिरोपित कर सकेगी जो कि स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं ; और

(ङ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगी जो कि समुचित समझे जाएं जिसमें उस आदेश को विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें कोई अंतरण या संव्यवहार प्रभावी होगा, के उपबंध भी सम्मिलित हैं.

(८) सुसंगत अंतरण स्कीम के प्रभावी होने के पूर्व उपगत समस्त ऋण और बाध्यताएं मंडल या प्रथम अंतरिती द्वारा या उनके साथ या उनकी ओर से की गई समस्त संविदाएं और, किए जाने के लिए सहबद्ध समस्त विषय और बात सुसंगत अंतरण स्कीम में विनिर्दिष्ट सीमा तक यथास्थिति, प्रथम या द्वितीय अंतरिती द्वारा उपगत किए गए, की गई समझी जाएंगी.

(९) सुसंगत अंतरण स्कीम के प्रभावी होने के पूर्व संस्थित या संस्थित किये जाने वाले, या लंबित समस्त वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां, जिसमें, यथास्थिति, मण्डल या प्रथम अंतरिती अंतर्ग्रस्त है, सुसंगत अंतरण स्कीम में विनिर्दिष्ट रीति में प्रथम या द्वितीय अंतरिती द्वारा या उनके विरुद्ध जारी रहेंगी या संस्थित की जाएंगी.

(१०) यदि राज्य सरकार द्वारा विरचित अंतरण स्कीम के अनुसरण में किसी अनुज्ञप्तिधारी से उसके उपक्रम के किसी भाग को किसी अन्य कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्ति में निहित करने के अपेक्षा की जाती है तो आयोग, अनुज्ञाप्तिधारी को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति को संशोधित करेगा और कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी अन्य कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्ति को समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति जारी करेगा.

(११) मंडल पर उस सीमा तक उन कृत्यों का निर्वहन करने, उन अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने का भार नहीं रहेगा जो जिस सीमा तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्ति को अंतरित किए हैं और उसमें निहित किए गए हैं तथा मंडल उस सीमा तक उन कृत्यों का निर्वहन, अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा जो जिस सीमा तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्ति को अंतरित किए गए हैं और उसमें निहित किए गए हैं.

(१२) किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मंडल के किसी भी अधिकार या शक्ति का प्रयोग ऐसी शर्तों पर किया जा सकेगा जो अंतरण स्कीम में विनिर्दिष्ट होंगी जिसमें एक शर्त यह भी सम्मिलित है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हो उनका प्रयोग आयोग के अनुमोदन से ही किया जाएगा.

कार्मिकों से संबंधित उपबंध.

२४. (१) राज्य सरकार, उक्त अंतरिती में जो कि धारा २३ के अधीन अंतरित किए गए उपक्रम के भाग रू में हैं, यथास्थिति, प्रथम अंतरिती या द्वितीय अंतरिती में सम्पत्तियों, अधिकारों तथा दायित्वों के निहित हो जाने पर, मंडल के कार्मिकों का स्थानांतरण करने के लिए उपबंध कर सकेगी और ऐसा स्थानांतरण उसी रीति में प्रभावी होगा जैस कि धारा २३ के अधीन स्थानांतरण की दशा में होता.

(२) ऐसे स्थानांतरण पर कार्मिक, यथास्थिति, प्रथम या द्वितीय अंतरिती के अधीन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कि अंतरण स्कीम में अवधारित की जाएं, निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए पद धारण करेगा या सेवा करेगा, अर्थात् :—

(क) उन पर प्रथम या द्वितीय अंतरिती में के अधीन लागू सेवा के निबंधन तथा शर्तें स्थानांतरण से अव्यवहित पूर्व उन पर लागू सेवा के निबंधन तथा शर्तों से कम अनुकूल या निम्नतर नहीं होंगी ;

(ख) कार्मिकों की सेवा में सभी प्रकार से निरंतरता बनी रहेगी और

(ग) स्थानांतरण के पूर्व प्रोद्भूत सेवा की समस्त प्रसुविधाएं मान्य होंगी और सभी प्रयोजनों के लिए जिसमें किसी या सभी सेवांत प्रसुविधाओं का भुगतान भी सम्मिलित है, को विचार में लिया जायेगा.

(३) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का सं. १४) या लागू किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, और इस अधिनियम में किए गए उपबंधों के सिवाय, इस भाग के उपबंधों के अनुसार कार्मिकों के नियोजन के स्थानांतरण के कारण, ऐसे कर्मचारी अंतरण स्कीम में यथाउपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम या किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य विधि या सामान्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर या नुकसानी के लिए हकदार नहीं होंगे.

स्पष्टीकरण.—इस भाग तथा अंतरण स्कीम के प्रयोजनों के लिए पद "कार्मिक" से अभिप्रेत होगा तथा इसमें वे समस्त व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो प्रभावी तारीख को मंडल के कर्मचारी हैं चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों.

अंतरण में फेरफार.

२५. राज्य सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि स्थानांतरण धारा २३ तथा २४ के निबंधनों के अनुसार स्थानांतरण के प्रभावी होने की तारीख से बारह मास तक की किसी कालावधि तक अनंतिम होंगे तथा वह ऐसी रीति में जो राज्य सरकार समुचित समझे निबंधनों में परिवर्तन, फेरफार, उपान्तरण, जोड़ने या अन्यथा तबदीली करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रख सकेगी.

अध्याय—सात

टैरिफ

टैरिफ.

२६. (१) किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्युत के अंतर्राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ और राज्य में, विद्युत के यथास्थिति, ग्रिड, थोक, वृहद्रूप (बल्क) में या [illegible] रेषण, वितरण तथा प्रदा के लिए टैरिफ (जो इसमें इसके पश्चात् "टैरिफ" के नाम से निर्दिष्ट है) इस अ[illegible]बंधों के अध्यधीन रहते हुए होगा और टैरिफ का अवधारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा किया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय अधिनियम की धारा १७ के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश या निदेश के होते हुए भी, मंडल की अधिसूचना क्रमांक ०५-०१/जी ए/१९२/ए/१३४, क्रमांक ०५-०१/जी ए/१९२/बी-१, क्रमांक ०५-०१/जी ए/१९२/बी-२, क्रमांक ०५-०१/जी ए/१९२/सी-१, क्रमांक ०५-०१/जी ए/१९२/सी-२, क्रमांक ०५-०१/जी ए/१९२/सी-३, क्रमांक ०५-०१/जी ए/१९२/डी-१, क्रमांक ०५-०१/जी ए/१९२/डी-२, क्रमांक ०५-०१/जी ए/१९२/डी-३, क्रमांक ०५-०१/जी ए/१९२/ई तथा क्रमांक ०५-०१/जी ए/१९२/एफ, समस्त तारीख एक मार्च, १९९९ द्वारा निश्चित किए गए टैरिफ तथा प्रभार विधिमान्य तथा प्रवर्तनीय होंगे.

(२) आयोग, टैरिफ के नियतन के लिए निबंधन तथा शर्तें विनियमों द्वारा अवधारित करेगा और ऐसा करने में निम्नलिखित कारकों द्वारा मार्गदर्शित होगा, अर्थात् :—

(क) टैरिफ दक्षता में पर्याप्त तथा सुधारात्मक स्तर से विद्युत् के प्रदाय की लागत अधिकाधिक परावर्तित होती है;

(ख) वे कारक जो दक्षता, संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग, अच्छा सम्पादन, अधिकतम विनिधान और अन्य विषय जो राज्य आयोग इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु समुचित समझे, प्रोत्साहित करे;

(ग) विद्युत् उत्पादन, पारेषण, वितरण, और प्रदाय वाणिज्यिक सिद्धांतों पर किया जाता है;

(घ) उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रखे जाते हैं और साथ ही उपभोक्ता युक्तियुक्त रीति से विद्युत् के उपयोग के लिए भुगतान करते हैं;

(ङ) विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) की धारा ४६ और ५७ और उनकी छठवीं अनुसूची में उपबंधित सिद्धांत और उनकी प्रयुक्तियां ; और

(च) मंडल की दशा में, विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ की धारा ५९ के अधीन के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है:

परन्तु जहां आयोग, खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट कारकों का अनुसरण नहीं करता हो, वहां वह उसके लिए कारणों को अभिलिखित करेगा.

(३) प्रत्येक अनुज्ञप्ति का धारक और अन्य व्यक्ति, जिसमें मंडल या उसके उत्तरवर्ती निकाय सम्मिलित हैं, जो राज्य में विद्युत् का थोक वृहद्रूप (बल्क) या फुटकर में पारेषण, विक्रय, वितरण या प्रदाय करने के लिए प्राधिकृत हैं, प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना करने में समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यपद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जिसे वसूल करने तथा टैरिफ का अवधारण करने में उन राजस्वों को संग्रहित करने हेतु धारक को अनुज्ञात किया गया हो.

(४) यदि राज्य सरकार, किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग के लिए उस टैरिफ में जिसे इस धारा के अधीन राज्य आयोग द्वारा अवधारित किया गया हो, कोई सबसिडी प्रदान करने की अपेक्षा करती है तो राज्य सरकार, सबसिडी प्रदान करने से प्रभावित हुए व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए, ऐसी रीति में, जैसी कि आयोग निदेशित करे, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सबसिडी का क्रियान्वयन करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी या संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक शर्त के रूप में रकम का भुगतान करेगी.

(५) इस अधिनियम के अधीन अवधारित किया गया या कार्यान्वित किया गया कोई फुटकर टैरिफ :—

(क) विद्युत् के किसी उपभोक्ता के लिए असम्यक् अधिमान प्रकट नहीं करेगा किन्तु उपभोक्ता के भार कारक, ऊर्जा कारक और किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विद्युत् का कुल उपभोग या समय जिस पर प्रदाय अपेक्षित है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रदाय की प्रकृति और वह प्रयोजन जिसके लिए प्रदाय अपेक्षित है या उपभोक्ताओं के प्रवर्ग की भुगतान क्षमता और पारस्परिक सहायकीकरण के लिए आवश्यकता के अनुसार अंतर हो सकेगा;

(ख) वित्तीय रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के मामलों में के सिवाय, जिन्हें बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घटी हुई टैरिफ पर विद्युत् की सीमित मात्रा उपलब्ध कराना हो, ऐसी रीति में होगा कि

किसी वर्ग या उपभोक्ता के वर्ग से उच्चतर टैरिफ प्रभारित कर अन्य वर्ग या उपभोक्ता के वर्गों को दी जाने वाली विद्यमान सबसिडी उत्तरोत्तर रूप से कम हो जाए और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पांच वर्ष की कालावधि के भीतर उपभोक्ता के किसी वर्ग के लिए टैरिफ अनुज्ञप्तिधारियों के उस वर्ग के लिए विद्युत् प्रदाय के अनुज्ञप्तिधारी की औसत लागत का न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत परिलक्षित हो जाएगी;

(ग) न्यायसंगत और युक्तियुक्त होगा तथा ऐसा होगा जो विद्युत् के प्रदाय और उपयोग में दक्षता को प्रोन्नत करेगा;

(घ) अधिनियम, विनियमों के समस्त अन्य सुसंगत उपबंधों और अनुज्ञप्ति की शर्तों को पूरा करेगा.

(६) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी जिसको यह विश्वास हो कि उन प्रभारों से जिन्हें टैरिफ के अधीन वसूल करने के लिए उसे अनुज्ञात किया गया है प्रत्याशित औसत राजस्व का आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी संगणना के पूर्ण ब्यौरे, ऐसे समय पर तथा ऐसी रीति में, जैसी कि आयोग द्वारा विहित की जाए, और ऐसी अन्य जानकारी जो कि आयोग ऐसी संगणना का निर्धारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे, आयोग को उपलब्ध कराएगा.

(७) (क) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात् अनुज्ञप्ति की प्रारंभिक मंजूरी देते समय और तत्पश्चात् तीन वर्ष से अनधिक ऐसे अंतरालों पर तथा ऐसी रीति में जैसी कि आयोग विहित करे, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारित किया जाने वाला टैरिफ अवधारित करेगा;

(ख) आयोग को, विशेष निधियों में विनियोजित की जाने वाली ऐसी रकम, अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में उपभोक्ताओं को विद्युत् के प्रदाय को समर्थ करने हेतु परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए अपेक्षित व्ययों की पूर्ति करने हेतु आवश्यक समझे, अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ में सम्मिलित करने का हकदार होगा.

(८) पुनरीक्षित किए जाने के लिए अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात किए गए किसी परिवर्तन के संबंध में जिसमें कोई ईंधन अधिभार सूत्र (फ्यूल सरचार्ज फार्मूला) के अधीन जो टैरिफ अवधारित करने वाले आदेश में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित है, के सिवाय कोई टैरिफ या किसी टैरिफ का भाग जो आयोग द्वारा अवधारित किया जाए और क्रियान्वित किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक पुनरीक्षित नहीं किया जा सकेगा. अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को टैरिफ में प्रस्तावित पुनरीक्षण के ब्यौरे ऐसी और जानकारी के साथ उपलब्ध कराएगा जैसी कि आयोग अपेक्षा करे. आयोग, समस्त जानकारी की प्राप्ति के ... दिन ... और हितबद्ध व्यक्तियों की सुनवाई के पश्चात् टैरिफ में प्रस्तावित पुनरीक्षण पर अपना विनिश्चय ...

(९) अनुज्ञप्तिधारी किसी दैनिक समाचार पत्र में जिसका परिचालन पारेषण के क्षेत्र या प्रदाय के क्षेत्र में हो पारेषण या प्रदाय के क्षेत्र के भीतर विद्युत् पारेषण या विद्युत प्रदाय के लिए टैरिफ प्रकाशित करवाएगा और जनसाधारण के अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा और ऐसा टैरिफ ऐसे प्रकाशन की तारीख से सात दिन पश्चात् ही प्रभावशील होगा.

(१०) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी टैरिफ को तब तक पुनरीक्षित या संशोधित नहीं करेगा जब तक कि आयोग ने संशोधन को अनुमोदित न कर दिया हो और उपधारा (९) में उपबंधित रीति में संशोधित टैरिफ प्रकाशित न कर दिया गया हो.

(११) विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) की धारा ४६, ५७, ५७-क और ५७-ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् कोई रेटिंग समिति गठित नहीं की जाएगी और आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत् के थोक तथा फुटकर दोनों प्रकार के विक्रय के लिए प्रभारों और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनकी आस्तियों या प्रणाली के संयोजन के लिए तथा उपयोग के लिए संबंधित उपबंधों का पालन किया है.

स्पष्टीकरण.—इस धारा में—

(क) "प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व" से अभिप्रेत है ऐसा कुल राजस्व जो किसी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपधारा (६) के अधीन टैरिफ के अवधारण में प्रयुक्त पूर्वानुमानित प्रदाय के स्तर के लिए उपभोक्ताओं को प्रदाय किए गए माल या सेवाओं के संबंध में, प्रभारों से वसूल किया जाना प्रत्याशित है.

(ख) "टैरिफ" से अभिप्रेत है विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए विद्युत् ऊर्जा या प्रभारों के प्रदाय के लिए मानक कीमत की कोई अनुसूची जो टैरिफ में विनिर्दिष्ट प्रकार या प्रकारों के क्रेता या उपभोक्ता को उपलब्ध कराई गई ऐसी समस्त विनिर्दिष्ट सेवाओं पर लागू है.

राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता.

२७. राज्य सरकार, ऐसी रकम की और ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर जो कि राज्य सरकार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समर्थ बनाने के लिए अवधारित करे, आर्थिक सहायता दे सकेगी जो राज्य सरकार लोकहित में आवश्यक समझे.

अध्याय—आठ

आदेश तथा प्रवर्तन

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश.

२८. (१) जहां आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अनुज्ञप्तिधारी किसी सुसंगत शर्त या अपेक्षा का उल्लंघन कर रहा है या उसका उल्लंघन करने वाला है तो वह धारा २९ के अधीन अंतिम आदेश द्वारा, और यदि वह उपधारा (२) के अनुसार समुचित समझे तो इस धारा के अधीन अंतरिम आदेश द्वारा ऐसे निदेश जारी करेगा जैसे कि वह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे.

(२) यह अवधारित करने में कि क्या यह समुचित होगा कि कोई अंतरिम आदेश किया जाए, आयोग, विशिष्टतया निम्नलिखित का ध्यान रखेगा—

(क) वह सीमा, जिस तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन या संभाव्य उल्लंघन, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों की उपलब्धि को प्रभावित करेगा;

(ख) वह सीमा, जिस तक कि अंतिम आदेश किए जाने के पूर्व सुसंगत शर्त या अपेक्षा के उल्लंघन में किसी ऐसी बात के परिणामस्वरूप जो कि की जानी है या किए जाने से छोड़ दी गई है, किसी व्यक्ति को हानि या नुकसान होना संभाव्य है; और

(ग) वह सीमा जिस तक कि (इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए) किसी सुसंगत शर्त या अपेक्षा के अभिकथित उल्लंघन के संबंध में कोई अन्य उपचार उपलब्ध है.

(३) यदि आयोग कोई अंतरिम आदेश किया जाना प्रस्तावित करता है तो वह,—

(क) यह कथन करते हुए कि वह आदेश करना प्रस्तावित करता है;

(ख) निम्नलिखित बातें उपवर्णित करते हुए:—

(एक) ऐसी सुसंगत शर्तें या अपेक्षाएं जिनका अनुपालन किया जाना प्रस्तावित आदेश द्वारा आशयित है;

(दो) ऐसे कृत्य या लोप जिनसे उसकी राय में उस शर्त या अपेक्षा का उल्लंघन होता है;

(तीन) ऐसे अन्य तथ्य जो उसकी राय में प्रस्तावित आदेश किया जाने को न्यायोचित ठहराते हैं ; और

(चार) प्रस्तावित आदेश के प्रभाव, और वह कालावधि विनिर्दिष्ट करते हुए जो कि सूचना की तारीख से ५ दिन से कम की नहीं होगी, जिसके कि भीतर अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन या आक्षेप कर सकता है, अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देगा.

(४) उपधारा (5) के अध्यधीन रहते हुए और अनुज्ञप्तिधारी से उपधारा (३) के अनुसरण में प्राप्त अभ्यावेदनों या आक्षेपों पर विचार कर लेने के पश्चात्, आयोग (अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदनों या आक्षेपों के कारण प्रस्तावित आदेश को उपांतरित करते हुए), उपधारा (३) में निर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पश्चात्, किसी भी समय अंतरिम आदेश कर सकेगा यदि—

(क) आयोग के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि उस अनुज्ञप्तिधारी ने जिससे कि आदेश संबंधित है, किसी सुसंगत शर्त या अपेक्षा का उल्लंघन किया है या उल्लंघन कर रहा है या वह उनका उल्लंघन करने वाला है; और

(ख) आदेश द्वारा किए गए उपबंध उस शर्त या अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से अपेक्षित है.

(५) आयोग, कोई अंतरिम आदेश नहीं कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सभी कदम उठाने के लिए सहमत हो गया है और वह ऐसे कदम उठा भी रहा है जिन्हें कि आयोग समझता है कि उस प्रश्नाधीन शर्त या अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने या उसे सुकर बनाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को कदम उठाना चाहिए;

(६) अंतरिम आदेश,—

(क) द्वारा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से जिससे कि वह संबंधित है, (मामले की [illegible] अनुसार) यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसी बातें करें या न करें जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट है या जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए प्रकार की है.

(ख) शीघ्रतम साध्य ऐसे समय से प्रभावशील होगा जो कि आदेश द्वारा अवधारित किया गया हो; और

(ग) आयोग द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहृत, उपांतरित या विखंडित किया जा सकेगा, परंतु किसी भी दशा में ऐसी कालावधि के समाप्त होने पर जैसी कि आदेश में कथित है, तब प्रभावहीन हो जाएगा जब तक कि आयोग, धारा २९ में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करके, उस अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश के रूप में घोषित न कर दे.

(७) अंतरिम आदेश करने के पश्चात् आयोग यथासाध्य शीघ्रता से,—

(क) आदेश की एक प्रति उस अनुज्ञप्तिधारी पर तामील करेगा जिससे कि वह आदेश संबंधित है;

(ख) आदेश को ऐसी रीति में प्रकाशित करेगा जैसा कि वह उसे उन व्यक्तियों की जानकारी में लाने के प्रयोजन के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, समुचित समझे ; और

(ग) अंतरिम आदेश को धारा २९ के अनुसार अंतिम आदेश के रूप में घोषित करने की कार्यवाहियां प्रारंभ करेगा.

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंतिम आदेश.

२९. (१) यदि आयोग अंतिम आदेश करना या अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश के रूप में घोषित करना प्रस्तावित करता है, तो आयोग,—

(क) यह कथन करते हुए कि वह अंतिम आदेश करना या अंतरिम आदेश को अंतिम आदेश के रूप में घोषित करना प्रस्तावित करता है;

(ख) प्रस्तावित अंतिम आदेश के संबंध में धारा २८ की उपधारा (३) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट जानकारी उपवर्णित करते हुए ; और

(ग) वह कालावधि विनिर्दिष्ट करते हुए (जो सूचना के प्रकाशन को तारीख से ६० दिन से कम की नहीं होगी) जिसके कि भीतर प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन या आक्षेप किए जा सकेंगे, सूचना देगा और उन अभ्यावेदनों या आक्षेपों पर विचार करेगा जो सम्यक्‌रूप से किए गए हैं और वापस नहीं लिए गए हैं. आयोग ऐसे अभ्यावेदनों या आक्षेपों की सूचना प्रकाशित करेगा और वह कालावधि (जो सूचना के प्रकाशन की तारीख से ३० दिन से कम की नहीं होगी) विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके कि भीतर और अभ्यावेदन या आक्षेप किए जा सकेंगे.

(२) उपधारा (१) के अधीन,—

(क) ऐसी रीति में सूचना प्रकाशित करते हुए, जैसी कि मामलों को उन व्यक्तियों की जिनसे सूचना संबंधित हो, और जिनका कि उससे प्रभावित होना संभाव्य हो, जानकारी में लाने के प्रयोजन के लिए आयोग समुचित समझे ; और

(ख) उस अनुज्ञप्तिधारी को जिससे कि आदेश संबंधित हो, सूचना और प्रस्तावित अन्तिम आदेश कि एक-एक प्रति तामील कराते हुए;

एक सूचना दी जाएगी.

(३) आयोग,—

(क) उस अनुज्ञप्तिधारी की सहमति के सिवाय, जिससे कि प्रस्तावित अंतिम आदेश संबंधित हो ; और

(ख) उपधारा (४) की अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिए जाने के पश्चात् के सिवाय, प्रस्तावित अंतिम आदेश को उपधारा (१) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन के अनुसरण में प्राप्त अभ्यावेदनों या आक्षेपों के परिणामस्वरूप उपांतरित नहीं करेगा.

(४) आयोग,—

(क) उस अनुज्ञप्तिधारी पर, जिससे कि प्रस्तावित अंतिम आदेश संबंधित हो, ऐसी सूचना जैसा कि आयोग को प्रस्तावित अंतिम आदेश को उपांतरित करने के लिए अपेक्षित प्रतीत हो, उपान्तरणों के ब्यौरे के साथ तामील करेगा;

(ख) उस सूचना में वह कालावधि विनिर्दिष्ट करेगा (जो सूचना की तामीली की तारीख से ३० दिन से कम की नहीं होगी) जिसके कि भीतर प्रस्तावित उपांतरणों के विरुद्ध अभ्यावेदन या आक्षेप किए जा सकेंगे ; और

(ग) उन अभ्यावेदनों या आक्षेपों पर, विचार करेगा जो कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्यक्‌रूप से किए गए हैं और वापस नहीं लिए गए हैं.

(५) धारा २८ की उपधारा (६) के खण्ड (क) और (ख) के उपबंध अंतिम आदेशों को लागू होंगे.

(६) अंतिम आदेश किया जाने के पश्चात्, आयोग, यथासाध्य शीघ्रता से, अंतिम आदेश की बाबत् धारा २८ की उपधारा (७) के खण्ड (क) और (ख) में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा.

(७) आयोग, अंतिम आदेश को किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगा किंतु किसी अंतिम आदेश के प्रतिसंहरण के पूर्व आयोग,—

(क) यह कथित करते हुए कि वह आदेश को प्रतिसंहृत करना प्रस्तावित करता है और इसके प्रभावों को उपवर्णित करते हुए ; और

(ख) वह कालावधि विनिर्दिष्ट करते हुए (जो सूचना का परिदान किए जाने की तारीख से ३० दिन से कम की नहीं होगी) जिसके कि भीतर प्रस्तावित प्रतिसंहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन या आक्षेप किए जा सकेंगे,

सूचना देगा और उन अभ्यावेदनों या आक्षेपों पर विचार करेगा जो विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्यक्रूप से किए गए हैं और वापस नहीं लिए गए हैं.

(८) यदि उपधारा (७) के अधीन सूचना देने के पश्चात् आयोग, उस अंतिम आदेश को, जिससे कि सूचना संबंधित हो, प्रतिसंहृत न करने का विनिश्चय करता है तो वह अपने विनिश्चय की सम्बद्ध व्यक्तियों को सूचना देगा.

(९) उपधारा (७) और (८) के अधीन सूचना, धारा २८ की उपधारा (७) के खण्ड (क) और (ख) में उपवर्णित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी.

आपात उपबन्ध.

३०. (१) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी के किसी उपक्रम का प्रबंधन और उसका नियंत्रण, उपक्रम की आस्तियों, हितों और अधिकारों सहित किसी व्यक्ति में निहित करने के लिए निदेश देने का हकदार होगा. यदि आयोग ऐसा समझता है तो वह इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों और उपभोक्ता को विद्युत् की दक्ष और सुरक्षित रीति में निरंतर प्रदाय बनाए रखने की आवश्यकता पर, विचार करते हुए तत्काल निदेश दे सकेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी किए गए निदेश इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे कि निदेश दिए जाने की या निदेश पारित किए जाने के आशय की सुनवाई की कोई पूर्व सूचना अनुज्ञप्तिधारी को नहीं दी गई थी, किन्तु आयोग इस अधिनियम की धारा २८ तथा २९ के निबंधनों के अनुसार और आदेश पारित करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को अवसर देगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को सुनेगा.

अंतरिम और अंतिम आदेशों का प्रभाव और उनका प्रवर्तन जुर्माने और प्रभार.

३१. (१) आयोग द्वारा पारित सभी अंतरिम या अंतिम आदेश और दिए गए सभी निदेश विधि द्वारा उसी प्रकार प्रवर्तनीय होंगे, मानो कि वे सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री हों.

(२) आयोग, राज्य में पुलिस और अन्य प्राधिकारियों की ऐसी सहायता लेने का हकदार होगा जैसी कि आयोग द्वारा दिए गए आदेशों और निदेशों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए अपेक्षित हो.

(३) आयोग ऐसे जुर्माने और प्रभार अधिरोपित करने का हकदार होगा, जैसे कि उत्पादन करने वाली कंपनियों, अनुज्ञप्तिधारियों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन विरचित विनियमों के उपबंधों या अपेक्षाओं के या आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों या आदेशों के अननुपालन या उनके उल्लंघन के लिए आयोग द्वारा विनियमों में विहित किए जाएं. वह जुर्माना, जिसे कि अधिरोपित करने का, आयोग, हकदार होगा, एक बार अननुपालन या उल्लंघन करने के लिए १,००,००० रुपये (एक लाख रुपये) तक का और प्रत्येक उस दिन के लिए जिसके कि दौरान अननुपालन या उल्लंघन चालू रहता है, ६,००० रुपये (छः हजार रुपये) से अनधिक की और राशि तक का हो सकेगा.

(४) आयोग, इस भाग के अधीन कोई अंतरिम या अंतिम आदेश करते समय या अन्यथा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (३) में यथा उपबंधित उल्लंघन या अननुपालन के दोषी व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रतिकर संदत्त करने का निदेश देगा जो कि ऐसे उल्लंघन या अननुपालन से प्रभावित हुए हों.

(५) वे जुर्माने, प्रभार या प्रतिकर जो इस धारा के अधीन आयोग द्वारा अधिरोपित किए जाएं, ऐसे अन्य दायित्वों के, जो कि उल्लंघन या अननुपालन के दोषी व्यक्ति के हों, अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण करने वाले नहीं होंगे.

३२. (१) अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन करने वाली कंपनियां और समस्त अन्य, आयोग द्वारा ऊर्जा प्रणाली (पावर सिस्टम) और विद्युत् प्रदाय लाईनों के, प्रचालन और उनके अनुरक्षण के लिए निबंधन और शर्तें विनियमित करने के लिए समय-समय पर विरचित विनियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे. आयोग का सामान्य नियंत्रण.

(२) अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, राज्य में, उन विद्युत् उद्योगों को, चाहे वे अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात् स्थापित हों, भाग रूप या उनके संबंध में प्रयुक्त समस्त आस्तियां संपत्तियां, संपत्ति में हित और अन्य सुविधाएं, आयोग द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए और विशिष्टतया ऊर्जा प्रणाली (पावर सिस्टम) और विद्युत् प्रदाय लाइनों का निरन्तर प्रचालन और अनुरक्षण बनाए रखने की आवश्यकता के लिए विरचित किए जाने वाले विनियमों के अध्यधीन होंगी.

अध्याय—नौ

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा काम करने के मानक, जानकारी का प्रकटीकरण इत्यादि

३३. (१) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य सलाहकार समिति के नाम से एक समिति का गठन करेगा जिसमें ९ से अन्यून और १५ से अनधिक उतनी संख्या में व्यक्ति होंगे, जितने व्यक्तियों की नियुक्ति आयोग निम्नलिखित हितों अर्थात् राज्य में प्रदाय अनुज्ञप्ति के धारकों, राज्य में पारेषण अनुज्ञप्ति के धारकों, राज्य में कार्यरत उत्पादन करने वाली कंपनियों, अशासकीय संगठन, उपभोक्ता और उपभोक्ता समूह, शैक्षणिक संस्थाएं, अनुसंधान निकाय, वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि और विद्युत् उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे प्रतिनिधियों या निकायों से करने के पश्चात् की जाएगी जैसा कि आयोग उपयुक्त समझे. राज्य सलाहकार समिति.

(२) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य, राज्य सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य होंगे.

(३) राज्य सलाहकार समिति प्रत्येक ३ मास में कम से कम एक बार अपना सम्मिलन करेगी.

(४) राज्य सलाहकार समिति की अवधि तीन वर्ष की होगी.

(५) राज्य सलाहकार समिति के कृत्य निम्नानुसार होंगे :—

(क) राज्य में विद्युत् उद्योग से संबंधित नीति के प्रमुख प्रश्नों पर आयोग को सलाह देना ; और

(ख) ऐसे मामलों पर आयोग को सलाह देना जो कि आयोग उसके समक्ष रखे, जिसमें अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विस्तार तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों और अपेक्षाओं के अनुपालन से संबंधित मामले भी सम्मिलित हैं.

३४. (१) आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों, राज्य सलाहकार समिति से और उन व्यक्तियों या निकायों से, जो कि उसके समक्ष उन व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में उपसंजात हो रहे हों, जिनके कि प्रभावित होने की संभावना हो, परामर्श करने के पश्चात्, समय-समय पर,— विद्युत प्रदाय कार्य करने के मानक.

(क) विद्युत् प्रदाय सेवाओं के उपबंधों के संबंध में और उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत् के ऐसे दक्षतापूर्ण उपयोग के उन्नयन के संबंध में, जो कि उसकी राय में दक्षतापूर्ण हैं और ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त किए जाना चाहिए, कार्य करने के मानक अवधारित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित प्राधिकरणों द्वारा विद्युत् उद्योग के लिए स्थापित मानकों के संगत होंगे और किसी भी दशा में ऐसे मानकों से निम्नतर नहीं होंगे

(ख) अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन करने वाली कंपनियों तथा अन्य के द्वारा प्रचालन करने के लिए ऊर्जा प्रणाली (पावर सिस्टम) प्रचालन कोड विहित कर सकेगा, जिसमें ग्रिड पारेषण कोड, वितरण कोड, प्रदाय कोड और प्रदाय विनियम सम्मिलित हैं, किन्तु वे राज्य के भीतर तक ही सीमित नहीं होंगे;

(ग) विद्युत् के उपयोग में और ऊर्जा प्रणाली के प्रचालन के लिए सुरक्षा विनियम विहित कर सकेगा; और

(घ) मानकों, कोड्स, विनियम तथा खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन इस प्रकार अवधारित अन्य मामलों के प्रकाशन का ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में इंतजाम करेगा जैसी कि वह समुचित समझे.

(२) आयोग, भिन्न-भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के लिए भिन्न-भिन्न मानक और कोड्स अवधारित कर सकेगा.

कार्य करने के मानकों की जानकारी.

३५. आयोग, (क) अनुज्ञप्तियों के धारकों से तथा (ख) आयोग के समक्ष उन व्यक्तियों और व्यक्तियों के प्रवर्गों के, जिनके कि प्रभावित होने की संभावना हो, प्रतिनिधि के रूप में उपसंजात होने वाले व्यक्तियों या निकायों से और (ग) राज्य सलाहकार समिति से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित को विहित करते हुए विनियम, विरचित कर सकेगा,—

(एक) उपभोक्ताओं और आम जनता के लिए चार्टर, अनुज्ञप्तिधारियों के कामकाज के बारे में जानकारी का उनका अधिकार ;

(दो) वे परिस्थितियां जिनमें कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से होने वाले किसी विलंब या व्यतिक्रम के लिए उपभोक्ताओं को प्रतिकर के भुगतान की जानकारी दी जाएगी;

(तीन) उपभोक्ताओं को विद्युत् प्रदाय से संसक्त खण्ड (एक) के अधीन उद्भूत किसी कर्तव्य के संबंध में कार्य करने के मानक; और

(चार) वे परिस्थितियां जिनमें अनुज्ञप्तिधारियों को इस धारा या विनियमों की किन्हीं अपेक्षाओं से छूट दी जाती है, और वह भिन्न-भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध कर सकेगा.

उपभोक्ता संरक्षण विधियों के लिए व्यावृत्ति.

३६. इस अधिनियम की कोई भी बात, उपभोक्ताओं के अन्य विधियों के अधीन अधिकारों और विशेषाधिकारों पर जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६ (१९८६ का सं. ६८) भी सम्मिलित है, किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या उन्हें प्रभावित नहीं करेगी.

कार्य करने के स्तरों के संबंध में जानकारी.

३७. (१) आयोग, समय-समय पर, निम्नलिखित के संबंध में जानकारी एकत्र करेगा,—

(क) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारियों से उद्गृहीत जुर्माने या शास्तियां;

(ख) ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त किए गए पारेषण और विद्युत् प्रदाय सेवाओं के उपबंधों से संसक्त कार्य करने के मानक; और

(ग) ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त किए गए, उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत के दक्ष उपयोग के उन्नयन से संसक्त कार्य करने के मानक.

(२) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जैसी कि आयोग द्वारा दिए गए निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को, निम्नलिखित जानकारी देगा,—

(क) विहित किए गए प्रत्येक मानक की बाबत् उन मामलों की संख्या जिनमें कि शास्ति उद्गृहीत की गई हो और उन शास्तियों के मूल्य की संकलित रकम; और,

(ख) अवधारित किए गए प्रत्येक मानक की बाबत् और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किए गए कार्य करने के स्तर की बाबत् ऐसी जानकारी जैसी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाए.

(३) आयोग, प्रतिवर्ष कम से कम एक बार इस धारा के अधीन उसके द्वारा एकत्रित की गई या उसे दी गई ऐसी जानकारी का, जैसी कि आयोग को इस प्रकार अपेक्षित प्रतीत हो, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी कि वह समुचित समझे, प्रकाशन करने के लिए इंतजाम करेगा.

जानकारी के प्रकटीकरण का प्रतिषेध.

३८. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन करने वाली कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति की बाबत् कोई जानकारी गोपनीय मानी जाएगी और उसका प्रकटीकरण प्रतिषिद्ध होगा.

अध्याय—दस

माध्यस्थम् और अपीलें

आयोग द्वारा माध्यस्थम्.

३९. (१) (क) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, १९९६ (१९९६का सं. २६) में या माध्यस्थम् से संबंधित, किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारियों के बीच उद्भूत होने वाला कोई विवाद आयोग को निर्दिष्ट किया जाएगा.

(ख) आयोग, मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अग्रसर हो सकेगा और विवाद का न्यायनिर्णयन करने और निपटारा करने के लिए पंचाट कर सकेगा या मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा.

(ग) ऐसे किसी न्यायनिर्णयन और निपटारे के संबंध में अनुसरित की जाने वाली पद्धति और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए.

(२) जहां कि आयोग द्वारा नियुक्त किसी मध्यस्थ द्वारा पंचाट दिया गया हो वहां इसे आयोग के समक्ष फाइल किया जाएगा और आयोग पंचाट पर समुचित आदेश पारित कर सकेगा, जिनमें,—

(क) पंचाट की पुष्टि करने और उसे प्रवर्तित करने;

(ख) पंचाट को अपास्त या उपांतरित करने; या

(ग) मध्यस्थ द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए पंचाट को विप्रेषित करने,

के आदेश भी सम्मिलित होंगे.

(३) उपधारा (२) के अधीन आयोग द्वारा दिया गया कोई पंचाट या आयोग द्वारा पारित कोई आदेश, आयोग का विनिश्चय या आदेश होगा तथा इस अधिनियम में यथा उपबंधित के अनुसार अपील करने योग्य होगा.

(४) आयोग द्वारा उपधारा (२) के अधीन दिया गया कोई पंचाट, या आयोग द्वारा पारित किया गया कोई आदेश, उसी प्रकार प्रवर्तनीय होगा मानो कि वह किसी सिविल न्यायालय की डिक्री हो.

(५) आयोग, इस भाग के अधीन कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय या कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, किसी भी समय ऐसे अंतरिम आदेश कर सकेगा जैसे कि आयोग समुचित समझे.

विद्युत् निरीक्षकों के विनिश्चयों के विरूद्ध अपीलें.

४०. भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) में या उनके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के किसी निरीक्षक से भिन्न किसी विद्युत निरीक्षक के विनिश्चय के विरूद्ध अपील आयोग को की जाएगी.

आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें.

४१. इस अधिनियम के अधीन आयोग के द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को आयोग का विनिश्चय या आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर, उच्च न्यायालय को, ऐसे आदेश से उद्‌भूत होने वाले विधि के प्रश्न पर, अपील फाइल कर सकेगा:

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि व्यथित व्यक्ति के [illegible] ठ दिन की कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण था तो वह साठ दिन की काला[illegible] अ[illegible] हो जाने के पश्चात् ९० दिन से अनधिक की और कालावधि के भीतर अपील ग्रहण कर सकेगा.

अध्याय—ग्यारह

लेखा, संपरीक्षा तथा रिपोर्ट

आयोग का बजट.

४२. आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाए, आयोग की प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्यय को दर्शाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

आयोग का लेखा और उसकी संपरीक्षा.

४३. (१) आयोग, उचित लेखा तथा अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा तथा ऐसे प्ररूप में, जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा.

(२) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जैसा कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देय होगा.

(३) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं, और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों तथा कागज-पत्रों [illegible] पेश किए जाने की मांग करने तथा आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा.

(४) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए [illegible] न्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखाओं को उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ आयोग द्वारा प्रतिवर्ष राज्य [illegible] अग्रेषित किया जाएगा और राज्य सरकार उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र संपरीक्षा रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.

४४. (१) आयोग, प्रतिवर्ष एक बार ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर जैसा कि विहित किया जाए पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान के अपने क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, तथा रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएंगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

अध्याय—बारह

अपराध और शास्तियां

धारा १४ के उल्लंघन के लिये शास्ति.

४५. जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन विरचित विनियमों या किसी अन्य प्रयोज्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में विद्युत के उपयोग या पारेषण या प्रदाय के कारबार में लगेगा, वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने के रूप में शास्ति से जो १,००,००० रुपये (एक लाख) तक की हो सकेगी या दोनों से और ऐसी और शास्ति से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके कि दौरान अपराध चालू रहता है ६,००० रुपये (छह हजार) तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा.

अन्य उपबंधों के उल्लंघन के लिये शास्तियां.

४६. यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या कोई अन्य व्यक्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन दिए गए किसी निदेश, आदेश या की गई किसी अपेक्षा का अनुपालन करने से या उन्हें कार्यान्वित करने से किसी युक्तियुक्त कारण के बिना इंकार करता है या उसमें असफल रहता है, वह कारावास से जो ३ मास तक का हो सकेगा या जुर्माने के रूप में शास्ति से जो १,००,००० रुपये (एक लाख) तक की हो सकेगी या दोनों से तथा ऐसी और शास्ति से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके कि दौरान अपराध चालू रहता है ४,००० रुपये (चार हजार) तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा.

कंपनियों द्वारा अपराध.

४७. (१) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे:

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी.

(२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से या उसकी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किये जाने का दायी होगा. इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और उसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम भी आते हैं; और

(ख) "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है.

अपराधों का संज्ञान और उनके प्रशमन की शक्ति.

४८. (१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, आयोग द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशिष्टतया प्राधिकृत किए गए आयोग के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में किए गए परिवाद पर ही संज्ञान करेगा अन्यथा नहीं और प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय या उससे वरिष्ठ किसी न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा.

(२) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई मजिस्ट्रेट, यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत हो, परिवाद फाईल करने वाले आयोग के अधिकारी को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा.

(३) आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, आयोग के द्वारा किए गए किसी आदेश के उल्लंघन से संबंधित किसी अपराध का, कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् शमन कर सकेगा.

शास्तियां और कार्यवाहियां अन्य कार्रवाईयों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी.

४९. इस अधिनियम के उपबंधों या विनियमों या आयोग द्वारा पारित किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहियां और कार्रवाईयां उन कार्रवाईयों के अतिरिक्त और उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगी जो भी अन्य अधिनियमों के अधीन आरंभ की जाएं.

अध्याय—तेरह
प्रकीर्ण

फीस, जुर्माने और प्रभारों की वसूली.

५०. आयोग, इस अधिनियम के अधीन उसे शोध्य समस्त राशियां, चाहे वे अनु[illegible] जुर्माने और प्रभारों के रूप में शोध्य हों, मध्यप्रदेश लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, १९८७ (क्रमांक [illegible] सन् १९८८) के उपबंधों के अनुसार उसी प्रकार वसूल करने का हकदार होगा मानो कि ऐसी राशि उस अधिनियम में परिभाषित लोक मांग हो और शोध्य रकम को संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी को सौंप देगा.

जुर्माने और प्रभारों का उपयोजन.

५१. इस अधिनियम के अधीन जुर्माना और प्रभार अधिरोपित करने वाला आयोग या न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि वह संपूर्ण या उसका कोई भाग कार्यवाहियों के व्ययों के भुगतान में या उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाए.

अधिरोपित जुर्माने या शास्तियों का कोई भी भाग संक्रांत नहीं किया जाएगा.

५२. ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन करने वाली कंपनियां और अन्य जिन पर इस अधिनियम के अधीन जुर्माने, प्रभार या शास्तियां अधिरोपित की गई हों, टैरिफ या देय प्रभारों के रूप में उन्हें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपभोक्ताओं को संक्रांत नहीं करेंगे.

अधिकारिता का वर्जन.

५३. इस अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या विनियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या विनिश्चय इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय अपीलीय नहीं होगा और किसी भी सिविल न्यायालय को, जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी माध्यस्थम् विधि के अधीन कोई न्यायालय या अधिकरण भी सम्मिलित है, किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके कि लिए इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा आयोग को सशक्त किया गया है, कोई अधिकारिता नहीं होगी.

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

५४. यदि इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, स्कीम या आदेशों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों, कर सकेगी.

विनियम बनाने की शक्ति.

५५. (१) आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपने [illegible] पालन के लिए विनियम बना सकेगा.

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी उपबंधों तथा इस अधिनियम में के विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित विषयों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या किसी विषय के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) आयोग के कामकाज का प्रशासन, जिसमें उसकी प्रशासनिक, अर्द्ध न्यायिक तथा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग, माध्यस्थम् तथा प्रक्रिया, आयोग का सम्मिलन बुलाना तथा सम्मिलन आयोजित करना, समय तथा स्थान जिस पर सम्मिलन आयोजित किया जाएगा और आयोग के कारबार का संचालन सम्मिलित है;

(ख) आयोग के सचिव, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कर्तव्य;

(ग) अनुज्ञप्तिधारियों को और इस अधिनियम की धारा १६ के अधीन छूट प्राप्त व्यक्तियों को तथा विद्युत् के उत्पादन, क्रय, पारेषण, वितरण एवं प्रदाय में अंतर्ग्रस्त अन्य व्यक्तियों को समनुदेशित किए जाने वाले कृत्यों का अवधारण, ऐसी रीति जिसमें ऐसे कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा और ऊर्जा प्रणाली तथा विद्युत् प्रदाय लाइनों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा कोड, ऐसे व्यक्तियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तों का तथा उससे संबंधित अन्य मामलों का अवधारण;

(घ) पारेषण, उप-पारेषण, वितरण, तथा प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति देने की प्रक्रिया, अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्तें और अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशिष्टियां और दस्तावेजें, मानक और सामान्य शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दी जाएगी, अनुज्ञप्ति देने से छूट दी जाना, अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण और संशोधन तथा उसका प्रभाव और उपरोक्त से संबंधित समस्त विषय;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य, शक्तियां, अधिकार और बाध्यताएं;

(च) विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय में अंतर्ग्रस्त तथा उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियां, उनसे जानकारी, लेखाओं तथा बहियों का संग्रहण, वह प्ररूप तथा वह रीति जिसमें उन्हें प्रस्तुत किया जाना है और उन्हें प्रवर्तित करवाना तथा पेश करने के लिए उन्हें बाध्य करना;

(छ) अनुज्ञप्तिधारी के राजस्वों, टैरिफ नियतन के लिए अवधारण का ढंग तथा रीति, ऐसा अवधारण तथा नियतन करने में विचार किए जाने वाले विषय;

(ज) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुसरण की जाने हेतु ऊर्जा क्रय तथा उपापन प्रक्रिया;

(झ) राज्य सलाहकार समिति का गठन;

(ञ) राज्य में विद्युत् के उत्पादन, पारेषण, उप-पारेषण, वितरण, प्रदाय में अंतर्ग्रस्त तथा उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए आचार संहिता तथा उनके कार्य का स्तर;

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए अधिरोपित किए जाने वाले जुर्माने तथा प्रभार की रकम जिसमें जुर्माने और प्रभार अधिरोपित करने तथा उसका संग्रहण करने का ढंग और रीति सम्मिलित है;

(ठ) संदेय फीस तथा प्रभार की रकम;

(ड) वह प्ररूप तथा रीति विहित करना, जिसमें आयोग के लेखे रखे जाएंगे;

(ढ) ऊर्जा प्रणाली तथा विद्युत् प्रदाय लाइनों का प्रचालन तथा अनुरक्षण विनियमित करना;

(ण) राज्य में विद्युत् उद्योग के लिए या उसके संबंध में उपयोग में लाई गई संपत्तियों, आस्तियों तथा संपत्तियों में हित को विनियमित करना; और

(त) कोई अन्य विषय, जिसका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है.

नियम बनाने की शक्ति.

५६. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति तथा इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप में उपबंधित विषयों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या किसी विषय के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सदस्यों को लागू सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें; और

(ग) अन्तरण स्कीम तैयार करना तथा उसका कार्यान्वयन करना तथा बोर्ड का पुनर्गठन प्रभावी बनाने के लिए आस्तियों, दायित्वों तथा कार्मिकों का स्थानान्तरण;

(३) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

आयोग के सदस्य तथा कर्मचारिवृन्द लोकसेवक होंगे.

५७. (१) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का सं. ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा.

(२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों या किए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में आयोग के विरुद्ध या आयोग के सदस्यों या आयोग के कर्मचारिवृन्द या प्रतिनिधियों के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

आयोग के समक्ष की जाने वाली कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होंगी.

५८. आयोग के समक्ष समस्त कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का सं. ४५) की धारा १९३, २१९ तथा २२८ के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) की धारा १९५ तथा अध्याय छब्बीस के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा.

अध्याय—चौदह

विद्यमान केन्द्रीय विधान पर प्रभाव तथा व्यावृत्तियां

भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० और विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ पर इस अधिनियम का प्रभाव.

५९. (१) धारा ६१ में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) के उपबंधों से असंगत या प्रतिकूल होते हुए भी अभिभावी होंगे.

(२) उपधारा (१) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) और विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) में के समस्त विषय जिनसे मंडल का संबंध रहा है या मंडल कार्यवाई करता रहा है निम्नलिखित के अध्यधीन रहते हुए होंगे,—

(क) समस्त नियामक कृत्य आयोग के जिम्मे होंगे;

(ख) मंडल ऐसे कृत्यों का जिम्मा नहीं लेगा जिनका निर्वहन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा किया जाना है;

(ग) इस अधिनियम की धारा २३ के अनुसार सुसंगत अंतरण स्कीम को प्रवर्तन में लाने के लिए अधिसूचनाओं के जारी होने पर, मंडल ऐसे कृत्यों का जिम्मा नहीं लेगा जो इस अधिसूचना के अधीन कंपनियों या निगमित निकाय या व्यक्तियों या प्राधिकारी को समनुदेशित हों.

(३) इस धारा की उपधारा (१) तथा (२) तथा धारा १२ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) और विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) के उपबंध जहां तक कि राज्य का संबंध है इसके अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए पढ़े जाएंगे.

भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९)

(एक) भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) में मंडल के प्रति समस्त निर्देशों को, जहां तक कि राज्य का संबंध है, इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन विरचित किन्हीं नियमों में यथा उपबंधित आयोग या कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति निर्देश और जहां कहीं भी उनका संबंध सामान्य नीतिगत विषयों से है, राज्य सरकार के प्रति निर्देश के रूप में पढ़े जाएंगे :

परन्तु मंडल उन नियामक कृत्यों से भिन्न ऐसे कृत्यों का प्रयोग करता रहेगा जिन्हें मंडल द्वारा किया जाता रहा है या अन्यथा जिन्हें कि राज्य सरकार आयोग के नियामक नियंत्रण, शक्तियों तथा कृत्यों के अध्यधीन रहते हुए विनिर्दिष्ट करे.

(दो) भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) की धारा ३ से ११, २८, ३६(२), ४९-क, ५० तथा ५१ में उपबंधित विषयों के संबंध में उस सीमा तक जहां तक इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपबंध किए गए हैं, भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० के उपबंध राज्य में लागू नहीं होंगे.

(तीन) भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) की अन्य समस्त धाराओं के उपबंध निम्नलिखित के सिवाय लागू होंगे:—

(क) पद "अनुज्ञप्ति", "अनुज्ञप्तिधारी", "अनुज्ञप्तिधारक" का वही अर्थ होगा, जो इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है और अनुज्ञप्तियों के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस अधिनियम के अधीन जारी की गई हैं;

(ख) भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) के उपबंधों में विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) की धाराओं का संदर्भ जहां कहीं भी लागू हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा;

(ग) इन उपबंधों में माध्यस्थम् का संदर्भ सिवाय जहां यह केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के संबंध में हो, इस अधिनियम की धारा ३९ के अधीन कार्यवाहियों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा और भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) के अधीन विहित माध्यस्थम् प्रक्रिया लागू नहीं होगी.

(चार) भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) की अनुसूची, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति निर्देश के संबंध में ही लागू होगी जिसमें अनुसूचियों का लागू होना विनिर्दिष्ट है, अन्यथा नहीं.

विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४)

(पांच) विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ में मंडल के प्रति समस्त निर्देश जहां तक कि राज्य का संबंध है, इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन विरचित किन्हीं नियमों में यथाउपबंधित आयोग या कंपनी या निगमित निकाय या व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति और जहां कहीं भी उनका संबंध सामान्य नीतिगत विषयों से है, राज्य सरकार के प्रति निर्देश के रूप में पढ़े जाएंगे:

परन्तु इस अधिनियम के अध्याय-छह के अधीन जब तक मंडल के समस्त कृत्य पुनर्गठित नहीं हो जाते हैं तब तक मंडल नियामक कृत्यों से भिन्न ऐसे कृत्यों का जिन्हें मंडल द्वारा किया जा रहा है या अन्यथा जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, तथापि आयोग नियामक नियंत्रण, उसकी शक्ति तथा कृत्यों के अध्यधीन रहते हुए प्रयोग करता रहेगा.

(छह) विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) की धारा ५ से १८, १९, २०, २३ से २७, ३७, ४० से ४५, ४६ से ५४, ५६ से ६९, ७२ और ७५ से ८३ में उपबंधित विषयों के संबंध में उस सीमा तक जिस तक कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपबंध किए गए हैं, विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) के उपबंध राज्य में लागू नहीं होंगे.

(सात) विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ की अन्य समस्त धाराओं के उपबंध निम्नलिखित के सिवाय लागू होंगे:—

(क) पद "अनुज्ञप्ति", "अनुज्ञप्तिधारी", "अनुज्ञप्तिधारक", का वही अर्थ होगा, जो इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है और अनुज्ञप्तियों के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस अधिनियम के अधीन जारी की गई हैं;

(ख) विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) के उपबंधों में भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) की धाराओं का संदर्भ जहां कहीं भी लागू हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा;

(ग) इन उपबंधों में माध्यस्थम् का संदर्भ सिवाय जहां यह केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के संबंध में हो, इस अधिनियम की धारा ९ के अधीन कार्यवाहियों के संदर्भ के रूप में लिया जाएगा और विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) के अधीन विहित की गई माध्यस्थम् प्रक्रिया लागू नहीं होगी.

(आठ) विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) की अनुसूची इस अधिनियम में किए गए उपबंधों के संदर्भ में ही तथा इस अधिनियम में उपबंधित उपांतरणों सहित ही लागू होंगी.

विद्युत् नियामक आयोग अधिनियम, १९९८ (केन्द्रीय अधिनियम, १९९८ का सं. १४) पर इस अधिनियम का प्रभाव.

६०. (१) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, केन्द्रीय अधिनियम की धारा १७ के अधीन गठित राज्य विद्युत् नियामक आयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समस्त शक्तियों का प्रयोग और समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा न कि केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत.

(२) उपधारा (१) में यथा उपबंधित के सिवाय, केन्द्रीय अधिनियम के उपबंध जहां तक उनका संबंध राज्य आयोग से है, राज्य में लागू नहीं होंगे.

व्यावृत्ति.

६१. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) या उसके अधीन विरचित नियमों के अधीन

केन्द्रीय आयोग, क्षेत्रीय विद्युत् मंडल, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन प्राधिकरण की शक्तियां, अधिकार तथा कृत्य अप्रभावित रहेंगे तथा प्रवृत्त बने रहेंगे.

(२) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात विद्युत् के अंतर्राज्यीय पारेषण के संबंध में पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या अन्य निकायों या अनुज्ञप्तिधारियों पर या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन करने वाली कंपनियों या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के उपक्रमों पर लागू नहीं होगी.

(३) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, भारतीय विद्युत् अधिनियम, १९१० (१९१० का सं. ९) या विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ५४) के अधीन मंडल सहित किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्यवाईयां इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमों में किए गए उपांतरणों के होते हुए भी विधिमान्य तथा प्रवर्तनीय होंगी.

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2001

क्र. 1689-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.